[2019] 8 एस. सी. आर. 824

PRADEEP RAM

वी.

झारखंड राज्य और ए. एन. आर.

(आपराधिक अपील सं। 816-817 2019 का)

1 जुलाई, 2019

[अशोक भूषण और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एसएस। 437 (5) और 439 (2)-अभियुक्त की गिरफ्तारी जो आगे संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध को जोड़ने के बाद जमानत पर था।

क्या पहले जमानत रद्द करने की मांग किए बिना अनुमति है

दिया गया-आयोजितः न्यायालय यू/एस. एस. की शक्ति का प्रयोग करता है। 437 (5) और 439 (2) उन अभियुक्त की गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जो पहले से ही जमानत पर था, गंभीर और गैर-संज्ञेय अपराधों को जोड़ने के बाद, भले ही बिना पहले की जमानत को रद्द करना-जांच प्राधिकरण के लिए अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ना खुला नहीं है, आगे के अपराधों को जोड़ने पर-वर्तमान मामले में, जांच एजेंसी ने आगे के अपराधों को जोड़ने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था-आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने में विशेष न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं थी।

एस. 167 और 309 (2)-अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजना।

ऐसे मामले में जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है-क्या यू/एस द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाना है। 167 या यू/एस। 309 (2) आयोजित किया गयाः अभियुक्त को यू/एस रिमांड पर लिया जा सकता है। 167 (2) जाँच के दौरान जब तक न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता-उसके बाद संज्ञान लिया गया है और आरोपी संज्ञान लेने के समय हिरासत में था या जब उसके संबंध में पूछताछ या मुकदमा चल रहा था, तो उसे केवल यू/एस न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। 309 (2) इस प्रकार, वर्तमान मामले में, अभियुक्त हो सकता था

केवल यू/एस रिमांड पर लिया गया। 309 (2) – हालांकि, वर्तमान मामले में रिमांड आदेश में उस प्रावधान का उल्लेख नहीं है जिसके तहत रिमांड दी गई थी।

मंजूर किया गया-इसलिए, रिमांड आदेश को यू/एस की शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित आदेश के रूप में माना जाना चाहिए। 309 (2) .

एफ. आई. आर.:

एफ. आई. आर. का पुनः पंजीकरण-गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत अपराधों को एफ. आई. आर. में जोड़ने के बाद-क्या दूसरी एफ. आई. आर. होने पर रोक है-आयोजितः समान अपराधों के संबंध में दूसरी प्राथमिकी वर्जित है-लेकिन, वर्तमान मामले के तथ्यों में, पुनः

एफ. आई. आर. के पंजीकरण को दूसरी एफ. आई. आर. नहीं कहा जा सकता है-वास्तव में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए एफ. आई. आर. का पुनः पंजीकरण किया गया था-इसलिए, एफ. आई. आर. के पुनः पंजीकरण पर रोक नहीं लगाई गई थी।

जाँचः

आगे की जाँच-राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एन. आई. ए.) द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों के तहत और अपराधों को जोड़ने पर (एफ. आई. आर. में रोकथाम) अधिनियम, 1967-पिछली एफ. आई. आर. में जांच के बाद अनुमति से अधिक थी-आयोजितः एन. आई. ए. द्वारा जाँच की गई थी

1967 अधिनियम के तहत अपराधों को तब नहीं जोड़ा गया था जब पिछली प्राथमिकी में आरोप बनाए गए थे-यहां तक कि यू/एस। 173 (2) Cr.P.C., यह पुलिस अधिकारियों के लिए आगे की जांच करने के लिए खुला है और

यू/एस द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 173 (8) - एन. आई. ए. में आगे की जांच करने और एक पूरक प्रस्तुत करने के लिए अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं थी।

वर्तमान मामले के तथ्यों में रिपोर्ट-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एस। 173 (2) और (8)।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

अभिरक्षा, जिसे अध्याय XXXIII के तहत जमानत पर रिहा किया गया है। धारा 437 (5) और 439 (2) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए कई आधार हो सकते हैं। एक व्यक्ति जिसके खिलाफ गंभीर अपराध जोड़े गए हैं, जो पहले से ही जमानत पर है, उसे धारा 437 (5) और 439 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अदालत द्वारा गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का निर्देश दिया जा सकता है। अभियुक्त को दी गई जमानत को रद्द करना और उसे गिरफ्तार करने का निर्देश देना और हिरासत में लेना कार्रवाई का एक तरीका हो सकता है, जिसे धारा 437 (5) और 439 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामले हो सकते हैं जहां जमानत रद्द किए बिना दी गई हो।

एक अभियुक्त के लिए, प्रासंगिक विचार पर, अदालत अभियुक्त को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का निर्देश दे सकती है। गंभीर अपराधों को जोड़ना ऐसी परिस्थितियों में से एक है, जिसके तहत [2019] 8 एस. सी. आर.

न्यायालय अभियुक्त को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और इस संबंध में जमानत दिए जाने के बावजूद हिरासत में ले सकता है -

जिन अपराधों के लिए उन पर उस समय आरोप लगाया गया था जब जमानत पर विचार किया गया था और उसे मंजूरी दी गई थी। [पैरा 21] [841-डी-जी]

1.2 Cr.P.C की धारा 437 की उप-धारा (5) अभिव्यक्ति 'का उपयोग करती है यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो निर्देश दें कि ऐसा व्यक्ति

गिरफ्तार कर लिया और उसे हिरासत में ले लिया। इसी तरह, Cr.P.C की धारा 439 की उप-धारा (2) प्रदान करती हैः ' निर्देश दे सकता है कि इस अध्याय के तहत जमानत पर रिहा किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे अभिरक्षा में रखा जाए। उपरोक्त प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने से संकेत मिलता है कि प्रावधान अनिवार्य रूप से यह प्रावधान नहीं करता है कि अदालत को ऐसे आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश देने से पहले, जिसे पहले ही जमानत दी जा चुकी है, उसकी पिछली जमानत को रद्द करना आवश्यक है। न्यायालय को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसे अभिरक्षा में सौंपने का निर्देश देने के लिए ऐसे आदेश पारित करने का विवेकाधिकार दिया गया है जो पहले की जमानत को रद्द करने के आदेश या गंभीर और गैर-संज्ञेय अपराधों को जोड़ने के कारण ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार करने की अनुमति के साथ हो सकता है। [पैरा 25] [843-एच; 844-ए-डी]

1.3 यह सच हो सकता है कि केवल एक आपराधिक मामले में एक अपराध को जोड़कर, जिसमें आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, जांच की जाती है।

अधिकारी स्वयं अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं और अदालत से आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसने अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया है। यह अभियुक्त के लिए भी खुला है, जो पहले से ही जमानत पर है और जिनके संबंध में गंभीर अपराध जोड़े गए हैं। जोड़े गए नए अपराधों के संबंध में जमानत के लिए आवेदन करें और न्यायालय

दिमाग लगाने के बाद या तो जमानत देने से इनकार कर सकता है या नए अपराधों के संबंध में जमानत दे सकता है। एक मामले में, नए जोड़े गए अपराधों के लिए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है, आरोपी को बहुत अच्छी तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है। सभी मामलों में, जहां अभियुक्त को न्यायालय के आदेशों के तहत जमानत दी जाती है और गंभीर प्रकृति के अपराधों सहित नए अपराध जोड़े जाते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि सभी मामलों में नए अपराधों के आधार पर किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की अनुमति देने से पहले न्यायालय द्वारा पूर्व जमानत रद्द कर दी जानी चाहिए। धारा 437 (5) और 439 (2) के तहत शक्ति विधानमंडल द्वारा न्यायालय को दी गई व्यापक शक्तियां हैं जिनके तहत न्यायालय कर सकता है।

किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की अनुमति दें और पहले के अपराधों के संबंध में जमानत रद्द किए बिना उसे हिरासत में ले लें।

PRADEEP RAM v. झारखंड राज्य और ए. एन. आर.

धारा 437 (5) और 439 (2) को प्रतिबंधित तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है जो आरोपी को गिरफ्तार करने और उसे हिरासत में लेने का आदेश देता है।

पहले की जमानत को रद्द करने के बाद ही अदालत द्वारा पारित किया जा सकता है। [पैरा 27] [845-सी-एफ]

1.4 वर्तमान मामले में अपीलार्थी पहले से ही एक अन्य मामले और जांच एजेंसी के संबंध में जेल हिरासत में था

अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए पेशी वारंट देने के लिए विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए. न्यायालय के समक्ष आवेदन किया। विशेष न्यायाधीश ने पेशी वारंट की मंजूरी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, आरोपी को 26.06.2018 पर अदालत के समक्ष पेश किया गया और हिरासत में भेज दिया गया। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, अभियुक्त को अदालत की अनुमति से पेश किया गया था। इस प्रकार, वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां जांच एजेंसी ने स्वयं नए अपराधों को जोड़ने के बाद अपीलार्थी को हिरासत में ले लिया है, बल्कि आरोपी को जांच एजेंसी द्वारा अदालत से प्राप्त पेशी वारंट के अनुसरण में अदालत में पेश किया गया था।

इस प्रकार अदालत के समक्ष अपीलार्थी को पेश करने के संबंध में विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए. अदालत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, विशेष न्यायाधीश के लिए आदेश पारित करना आवश्यक नहीं था

अभियुक्त अपीलार्थी को उसके समक्ष पेश करने की अनुमति देने या उसे न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले अपीलार्थी को दी गई दिनांक 10.03.2016 की जमानत को रद्द करना। [पैरा 28] [845-एफ-एच; 846-ए-बी]

1.5 ऐसी परिस्थिति में जहां किसी अभियुक्त को जमानत देने के बाद और संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध जोड़े जाते हैंः - ((i) द

अभियुक्त आत्मसमर्पण कर सकता है और नए जोड़े गए लोगों के लिए जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध। जमानत देने से इनकार करने की स्थिति में आरोपी को निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है। ((ii) जाँच एजेंसी धारा 437 (5) के तहत अदालत से आदेश ले सकती है या 439 (2) अभियुक्त की गिरफ्तारी और उसकी अभिरक्षा के लिए Cr.P.C। (iii) न्यायालय, Cr.P.C की धारा 437 (5) या 439 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, उस अभियुक्त को हिरासत में लेने का निर्देश दे सकता है जिसे उसकी जमानत रद्द होने के बाद पहले ही जमानत दे दी गई है। अदालत ने

धारा 437 (5) के साथ-साथ धारा 439 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया जा सकता है जिसे पहले ही जमानत दी जा चुकी है और उसे 'गंभीर और गैर-संज्ञेय अपराधों' के अतिरिक्त हिरासत में ले लिया जा सकता है जो हमेशा [2019] 8 एस. सी. आर.

पूर्व जमानत को रद्द करने के आदेश के साथ। (iv) ऐसे मामले में जहां किसी आरोपी को पहले ही जमानत दे दी गई है, जांच प्राधिकरण किसी अपराध या अपराध को जोड़ने पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन अपराध या अपराधों को जोड़ने पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अदालत से जिसने जमानत दी थी। [पैरा 29] [846-बी-जी]

प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम। एन. सी. टी., दिल्ली एंड अदर (2001)

उर्फ रशीद और अन्य (2008) 1 एस. सी. सी. 474: [2007] 5 एस. सी. आर. 937 पर भरोसा किया।

सुखपाल बनाम. राजस्थान राज्य 1988 (1) आर. एल. डब्ल्यू. 283; धवन बनाम। राज्य (2010) 2 एम. डब्ल्यू. एन (करोड़); धीवन वी. राज्य (2010) 2 एम. डब्ल्यू. एन (करोड़); बिजेंद्र और ओआरएस। वी. की स्थिति

यू. पी. और अन्य। (2006) क्रिएलजे 2253; बैंकी लाल

शर्मा बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य। (2008) क्रिएलजे 3779

स्वीकृत किया गया।

-

सीता राम सिंह और अन्र। वी. बिहार राज्य 2002 (2) बी. एल. जे. आर. 859; फैयाज अहमद खान और अन्य। वी. राज्य सी. आर. एम. सी.

नहीं। 270/2018: मिथाभाई पाशाभाई पटेल और अन्य बनाम। गुजरात राज्य (2009) 6 एससीसी 332: [2009] 7 एससीआर 1126; मनोज सुरेश जाधव और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य एसएलपी (सी. आर. एल.) 2017 का सं. 10179-निर्दिष्ट

को।

2.1 इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि समान अपराधों के संबंध में दूसरी प्राथमिकी प्रतिबंधित है। वर्तमान मामले में, जाँच एजेंसी द्वारा अपराध No.02/2016 (पहले की एफ़. आई. आर.) मामले में आरोप पत्र 10.03.2016 पर प्रस्तुत किया गया था और 11.03.2016 पर संज्ञान लिया गया था। 19.09.2016 पर आरोप तय किए गए थे। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराधों को पहली बार 09.04.2017 पर जोड़ा गया था। इस प्रकार, अप्रैल, 2017 से पहले गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराधों की जांच का कोई अवसर नहीं था। आई. डी. 2 दिनांकित आरोप-पत्र और आई. डी. 1 पर बनाए गए आरोप गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराधों के संबंध में नहीं थे, इस प्रकार, जब केंद्र सरकार ने एन. आई. ए. को निम्नलिखित अपराधों की जांच करने का निर्देश दियाः

अनुसूचित अपराधों में, एन. आई. ए. पी. आर. ए. डी. ई. पी. आर. ए. एम. वी. की जाँच करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था।

झारखंड राज्य और ए. एन. आर.

अपराध और एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रस्तुत एक ऐसा मामला नहीं है जहां के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कोई आरोप नहीं है

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 अप्रैल, 2017 से पहले उपलब्ध था। इस प्रकार, एन. आई. ए. केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार मामले में आगे की जांच करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था। [पैरा 42] [855-सी-ई]

टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य और अन्य (2001) 6 एस. सी. सी. 181 [2001] 3 एस. सी. आर. 942; बाबूभाई बनाम। गुजरात राज्य और अन्य (2010) 12 एस. सी. सी. 254: [2010] 10 एससीआर 651; चिर्रा शिवराज बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य (2010) 14 एस. सी. सी. 444 [2010] 15 एस. सी. आर. 673; अमितभाई अनिलचंद्र शाह बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो और ए. एन. आर. (2013)

6 एस. सी. सी. 328: [2013] 6 एस. सी. आर. 623-संदर्भित।

2.2 एन. आई. ए. अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (6) राज्य सरकार या राज्य के किसी भी पुलिस अधिकारी को प्रतिबंधित करती है।

सरकार जाँच जारी रखे। वर्तमान मामले में, जब केंद्र सरकार द्वारा 13.02.2018 पर आदेश जारी किया गया था, तो यह राज्य सरकार के पुलिस अधिकारी के लिए जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए सक्षम नहीं था। इसलिए, एन. आई. ए. द्वारा आई. डी. 1 पर फिर से दर्ज की गई एफ़. आई. आर. को अपराधों की दूसरी एफ़. आई. आर. नहीं माना जा सकता है, बल्कि एन. आई. ए. अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए एफ़. आई. आर. का फिर से पंजीकरण किया गया था और एफ़. आई. आर. का फिर से पंजीकरण केवल प्रक्रिया संबंधी कार्य है। एन. आई. ए. अधिनियम के तहत जांच और मुकदमा। अतः एफ. आई. आर. का पुनः पंजीकरण न तो वर्जित है और न ही यह माना जा सकता है कि यह दूसरी एफ. आई. आर. है। [पैरा 43] [855-एफ-जी]

3. यह नहीं कहा जा सकता कि एन. आई. ए. कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।

जाँच या कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, क्योंकि जाँच पहले ही पूरी हो चुकी थी और आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि आरोप पत्र 16.03.2016 पर प्रस्तुत किया गया था और 19.09.2016 पर आरोप बनाए गए थे, जिस तारीख तक गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराध भी नहीं जोड़े गए थे। धारा 173 Cr.P.C द्वारा वर्णित योजना स्वयं इंगित करती है कि धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी, पुलिस अधिकारियों के लिए आगे की जांच करने और दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य दोनों एकत्र करने और धारा 173 (8) के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हमेशा खुला रहता है। इस प्रकार, एन. आई. ए. में [2019] 8 एस. सी. आर. के अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं है।

आगे की जाँच जारी रखें और एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करें वर्तमान मामले के तथ्यों में। [पारस 44 और 47] [856-ए-सी; 858-ई]

विनय त्यागी बनाम। इरशाद अली उर्फ दीपक और अन्य (2013) 5 एस. सी. सी. 762: [2012] 13 एससीआर 1005; अमृतभाई शंभूभाई पटेल बनाम। सुमनभाई कांतिभाई पटेल और अन्य (2017) 4 एस. सी. सी. 177: [2017] 4 एससीआर 105-निर्भर पर।

4.1 जब तक आरोपी द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है, तब तक जाँच के दौरान आरोपी को धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत रिमांड पर लिया जा सकता है।

अदालत। जब किसी अभियुक्त को आगे की जाँच के दौरान बाद में गिरफ्तार किया जाता है, तो संज्ञान लेने के बाद भी अभियुक्त को धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत रिमांड पर लिया जा सकता है। जब संज्ञान लिया जाता है और अभियुक्त संज्ञान लेने के समय हिरासत में होता है या जब उसके संबंध में जाँच या मुकदमा चल रहा होता है, तो उसे केवल धारा 309 (2) Cr.P.C के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, अभियुक्त को केवल धारा 309 (2) Cr.P.C के तहत रिमांड पर लिया जा सकता था। [पैरा 63 (i) (ii) (iii) और 63] [866-एच; 867-बी]

गौरी शंकर झा बनाम। बिहार राज्य और अन्य 1972 (1) एस. सी. सी. 564: [1972] 3 एस. सी. आर. 129; केंद्रीय जांच ब्यूरो, विशेष जांच प्रकोष्ठ-I, नई दिल्ली

वी. अनुपम जे. कुलकर्णी (1992) 3 एससीसी 141: [1992] 3

एससीआर 158; दिनेश डालमिया बनाम। केंद्रीय ब्यूरो

जाँच (2007) 8 एस. सी. सी. 770: [2007] 9 एससीआर 1124; मिथाभाई पाशाभाई पटेल और अन्य बनाम। की स्थिति

गुजरात (2009) 6 एससीसी 332: [2009] 7 एससीआर 1126

पर भरोसा किया।

-

सी. बी. आई. बनाम के माध्यम से राज्य। दाऊद इब्राहिम कासकर और अन्य (2000) 10 एस. सी. सी. 438: [1997] 1 पूरक। एससीआर 212

- प्रतिष्ठित।

मोहम्मद. अहमद यासीन मंसूरी बनाम। महाराष्ट्र राज्य

1994 Crl.LJ 1854 (बम.)-संदर्भित।

4.2 वर्तमान मामले में, विशेष न्यायाधीश ने अपने रिमांड आदेश में न तो धारा 309 का उल्लेख किया है और न ही धारा 167 का, जिसके तहत आरोपी को रिमांड पर लिया गया था। जब न्यायालय के पास कोई विशेष आदेश पारित करने की शक्ति होती है, तो कानून के प्रावधान या PRADEEP RAM का उल्लेख न करना v.

झारखंड राज्य और ए. एन. आर.

कानून के प्रावधान का गलत उल्लेख महत्वहीन है। चूंकि विशेष न्यायाधीश केवल धारा 309 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता था, इसलिए दिनांकित रिमांड आदेश को धारा 309 (2) के तहत रिमांड आदेश के रूप में माना जाना चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्यों में धारा 309 (2) के तहत आरोपी को रिमांड करने का अधिकार, जब आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, तब के रिमांड आदेश में कोई अवैधता नहीं है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि 25.06.2018 दिनांकित रिमांड का आदेश इस प्रकार था -

धारा 167 Cr.P.C के तहत शक्ति। [पारस 65 और 66] [867-जी-एच; 868-ए-बी]

मामला कानून संदर्भ

2002 (2) बीएलजेआर 859

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[2001] 2 एससीआर 684

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

पै

रा 11

मंजूरी मिल गई।

1988 (1) आरएलडब्ल्यू 283

पै

रा 12

(2010) 2 एम. डब्ल्यू. एन. (क्र.)

मंजूरी मिल गई।

(2006) क्रिएलजे 2253

मंजूरी मिल गई।

पै

रा 13

(2008) क्रिएलजे 3779

मंजूरी मिल गई।

पै

रा 14

संदर्भित किया गया है

सी. आर. एम. सी. सं. 270/2018

पै

रा 15

[2007] 5 एससीआर 937

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

[2009] 7 एससीआर 1126

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

एसएलपी (सीआरएल) 2017 का No.10179 संदर्भित

पै

रा 26

[2001] 3 एससीआर 942

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[2010] 10 एससीआर 651

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[2010] 15 एससीआर 673

पै

रा 32

संदर्भित किया गया है

[2013] 6 एससीआर 623

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[2012] 13 एससीआर 1005

उस पर भरोसा करें

पै

रा 44

[2017] 4 एससीआर 105

उस पर भरोसा करें

पै

रा 45

[1972] 3 एससीआर 129

उस पर भरोसा करें

पै

रा 52

[1992] 3 एससीआर 158

उस पर भरोसा करें

पैरा

53 [2019] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1997] 1 पूरक। एससीआर 212

प्रतिष्ठित

पै

रा 54

1994 Crl.LJ 1854 (बम।)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 54

[2007] 9 एससीआर 1124

उस पर भरोसा करें

पै

रा 58

[2009] 7 एससीआर 1126

उस पर भरोसा करें

पै

रा 60

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 816-817 2019 से।

उच्च न्यायालय के 26.09.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

डब्ल्यू. पी. में रांची में झारखंड का (सीआरएल।) 2018 का सं. 277 और 2016 का सं. 1114।

अभिनव मुखर्जी, सुश्री बिहू शर्मा, सिद्धार्थ गर्ग,

सुश्री प्रतिष्ठा विज, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अमन लेखी, एएसजी, तपेश कुमार सिंह, आदित्य एन. दास,

आदित्य प्रताप सिंह, सुश्री सुहासिनी सेन, रजत नायर, सुश्री कानू अग्रवाल (बी. वी. बलराम दास के लिए), अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

1. ये अपीलें तारीख के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं।

26.09.2018 झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सी. आर. एल.) को खारिज कर दिया। 2018 की संख्या 277 और सी. आर. एल. विविध। अपीलार्थी द्वारा दायर धारा 482 Cr.P.C के तहत 2016 की याचिका संख्या 1114।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य और घटनाओं का क्रम इस प्रकार हैः

2.1 11.01.2016 पर, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 02/2016,

थाना तांडवा के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था

धारा 414,384,386,387,120-बी आई. पी. सी. धाराओं के साथ पढ़ें 25 (1 - बी) (ए), शस्त्र अधिनियम की 26,35 और धारा 17 (1) और

(2) आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम। इसके अलावा

याचिकाकर्ता, 11 अन्य नामित आरोपी थे।

अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोप थे कि

टी. पी. सी. समूह के चरमपंथियों का डर दिखाकर आवेदक

व्यापारी। यह भी आरोप लगाया गया था कि सूचना पर एक सह-अभियुक्त से प्राप्त, एक खोज भी की गई थी

अपीलार्थी के घर में, जिसके दौरान तलाशी ली जाती है, एक राशि ई. पी. आर. ए. एम. वी. में रखे बैग से Rs.57,57,510/- बरामद किया गया था।

झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

चार मोबाइलों के साथ अपीलार्थी का कमरा। नहीं।

अपीलार्थी द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया।

दिनांक 10.03.2016 के आदेश द्वारा, अपीलार्थी को नियमित रूप से अनुमति दी गई थी

हिरासत में लिए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी। उस पर

10.03.2016 , धाराओं के तहत एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।

414 , 384 , 386 , 387 , 120 - शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1 बी) (ए), 26,35 और शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (1) और (2) के साथ पठित बी. आई. पी. सी.

आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतरा ने अपराधों का संज्ञान लिया

शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए), 26,35 और धारा 17 (1) के साथ पठित धारा 414,384,386,387,120-बी आई. पी. सी. और

(2) 11.03.2016 पर आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम। ए. Crl.M.P. 2016 की संख्या 1114 अपीलार्थी द्वारा दायर की गई थी

10.05.2016 धारा 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय में।

सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रार्थना करना दिनांक 11.03.2016 का संज्ञान लेते हुए आदेश। उस पर

19.09.2016 , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोप तय किए

अपीलार्थी के खिलाफ धारा 414,384,386,387,120 बी आई. पी. सी. के तहत आरोप भी धारा 25 (1) के तहत लगाए गए थे।

बी) (ए), शस्त्र अधिनियम की धारा 26,35 के साथ-साथ आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 17 (1) और (2) के तहत। द.

उच्च न्यायालय ने 15.12.2016 पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया

तांडवा पी. एस. मामला सं. 2/2016 में आगे की कार्यवाही।

जाँच अधिकारी द्वारा की गई प्रार्थना पर

09.04.2017 , धारा 16,17,20 और 23 के तहत अपराध

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 जोड़ा गया।

अभियुक्त के खिलाफ। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश उप के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में दिनांक 13.02.2018

राष्ट्रीय संविधान की धारा 8 के साथ पठित धारा 6 की धारा 5

जाँच अभिकरण अधिनियम, 2008 स्वतः संज्ञान लेते हुए

राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी जांच

मामला एफ. आई. आर. No.02/2016, जिसमें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 16,17,20 और 23 थीं

जोड़ा गया, जो अनुसूचित अपराध थे। के अनुसरण में

केंद्र सरकार का दिनांकित 13.02.2018 आदेश,

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पहला मामला फिर से दर्ज किया

एफ. आई. आर. No.RC-06/2018/एन. आई. ए./डी. एल. आई. दिनांकित के रूप में सूचना रिपोर्ट

16.02.2018 उपर्युक्त खंडों के तहत। अपीलार्थी

किसी अन्य मामले में हिरासत में होने के कारण, अनुरोध किया गया था [2019] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., रांची के समक्ष 22.06.2018 पर पेशी वारंट जारी करने का अनुरोध करते हुए। विशेष न्यायाधीश ने प्रार्थना की अनुमति दी। नतीजतन, अपीलार्थी को चतरा जेल से 25.06.2018 पर पेश किया गया और विशेष न्यायाधीश दिनांक 25.06.2018 के आदेश द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

एक लिखित याचिका (सीआरएल) 2018 का No.277 द्वारा दाखिल किया गया था

2.4

अपीलार्थी पूरा अपराधी को निरस्त करने के लिए प्रार्थना कर रहा है

2018 के विशेष एन. आई. ए. मामले No.03 के संबंध में कार्यवाही जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट No.RC 06/2018/एन. आई. ए./डी. एल. आई. शामिल है। न्यायिक आयुक्त सह-विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., रांची के आदेश द्वारा अपीलार्थी को न्यायिक हिरासत में भेजने के दिनांकित 25.06.2018 के आदेश को रद्द करने के लिए भी एक और प्रार्थना की गई। उच्च न्यायालय ने दिनांकित 26.09.2018 के विवादित निर्णय द्वारा दोनों को खारिज कर दिया,

लेखन याचिका (सीआरएल) 2018 के No.277 के साथ-साथ 2016 के Crl.M.P. No.1114, जिस फैसले के खिलाफ व्यथित हैं, ये अपीलें अपीलार्थी द्वारा दायर की गई हैं।

3. हमने विद्वान वकील श्री अभिनव मुखर्जी को सुना है।

अपीलार्थी और श्री अमन लेखी की ओर से पेश होते हुए भारत संघ के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा। हमने झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को भी सुना है।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने उस जाँच को प्रस्तुत किया

2016 के पी. एस. केस No.02 में अपीलार्थी के खिलाफ पूरा हो चुका है और जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10.03.2016 , एन. आई. ए. दूसरा एफ. आई. आर. 16.02.2018 एफ. आई. आर. No.RC-06/2018/एन. आई. ए./डी. एल. आई. होने पर दर्ज नहीं कर सकता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विशेष न्यायाधीश ने धारा 167 Cr.P.C के तहत अपीलार्थी को न्यायिक हिरासत में भेजने का दिनांकित 25.06.2018 आदेश पारित करने में त्रुटि की।

11.03.2016 पर पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है, आदेश केवल धारा 309 Cr.P.C के तहत पारित किया जा सकता था।

एफ. आई. आर., एन. आई. ए. का पंजीकरण एफ. आई. आर. दिनांक 10.03.2016 में शामिल अपराध की कोई पुनः जाँच नहीं कर सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी को पहले से ही आईडी1 पर जमानत दे दी गई है, इसलिए उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की

धारा 16,17,20 और 23 के तहत नए अपराधों को जोड़कर फिर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। एन. आई. ए. के लिए एकमात्र रास्ता खुला था कि वह दिनांक 10.03.2016 की जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर करे। यह रद्द होने के बाद ही PRADEEP RAM v था।

जमानत कि अपीलार्थी को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता था या न्यायिक हिरासत में लिया जा सकता था।

5. विद्वान ए. एस. जी. ने अपीलार्थी के वकील की दलीलों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि वर्तमान किसी भी दूसरे एफ. आई. आर. के पंजीकरण का मामला नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. आई. ए. ने केवल एफ. आई. आर. को फिर से पंजीकृत किया है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के प्रावधान। एन. आई. ए. द्वारा एफ. आई. आर. के पुनः पंजीकरण को दूसरा एफ. आई. आर. नहीं कहा जा सकता है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल यह तथ्य कि 2016 के पी. एस. मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है, एन. आई. ए. को आगे की जांच करने और पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि Cr.P.C की धारा 173 (8) के आधार पर, जब धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तब भी जांच एजेंसी आगे बढ़ सकती है।

जाँच करें और मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करें और एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एन. आई. ए. अधिनियम के अनुसार, जब अनुसूचित अपराध किया जाता है, तो जाँच अलग-अलग जाँच एजेंसी को सौंप दी जाती है। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां अनुसूचित अपराध किए गए थे और पहले ही पी. एस. मामले में जोड़े जा चुके हैं।

No.02/2016 जिसके लिए एन. आई. ए. है, जिसे जाँच जारी रखनी है

केंद्र सरकार के दिनांक 13.02.2018 के आदेश के अनुसार। एन. आई. ए. में आगे की जांच करने और पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एन. आई. ए. ने जांच पूरी कर ली है और पहले ही 21.12.2018 पर एक आरोप पत्र जमा कर दिया है। जब भी किसी अनुसूचित अपराध की सूचना दी जाती है, तो केंद्र सरकार के पास एन. आई. ए. को इस तरह के अपराध की जांच करने का निर्देश देने की व्यापक शक्ति होती है और जांच को संभालते समय, एफ. आई. आर. फिर से दर्ज की जाती है, क्योंकि केवल नाम परिवर्तन होता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 2016 के पी. एस. मामला संख्या 02 में 10.03.2016 पर अपीलार्थी को दी गई जमानत गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 16,17,20 और 23 के तहत अपराधों के संबंध में अपीलार्थी के लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं हो सकती है। अपीलार्थी को नए जोड़े गए अपराधों के संबंध में नए सिरे से जमानत देने के लिए आवेदन करना था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विशेष न्यायाधीश ने एन. आई. ए. द्वारा आगे की जांच के दौरान धारा 167 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले अपीलार्थी को उचित रूप से रिमांड पर भेज दिया है। केवल यह तथ्य कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पहले संज्ञान लिया गया था, विशेष न्यायाधीश को एन. आई. ए. द्वारा आगे की जांच के लिए धारा 167 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता है।

6. पक्षों के विद्वान वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के साथ-साथ [2019] 8 एस. सी. आर. पर भी भरोसा किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालयों के निर्णयों के रूप में, जिन पर प्रस्तुतियों पर विस्तार से विचार करते समय विचार किया जाएगा। 7. पक्षों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों और अभिलेख पर अभिवचनों से, निम्नलिखित मुद्दे हैं, जो इसके लिए उत्पन्न होते हैं

इन अपीलों पर विचारः

(i) क्या ऐसे मामले में जहां किसी अभियुक्त को आपराधिक मामले में जमानत दी गई है, जिस मामले में बाद में नए अपराध जोड़े गए हैं, क्या यह आवश्यक है कि पहले जमानत दी जानी चाहिए -

अभियुक्त को हिरासत में लेने के लिए रद्द किया गया?

((ii) क्या एफ. आई. आर. No.RC-06/2018/एन. आई. ए./डी. एल. आई. का पुनः पंजीकरण दूसरा एफ. आई. आर. है और पहले से ही इसकी अनुमति नहीं है।

पी. एस. तांडवा में दर्ज एक एफ. आई. आर. सं. 02/2016

एक ही घटना?

((iii) क्या एन. आई. ए. आगे कोई जाँच कर सकता है।

मामला जब पी. एस. मामला No.02/2016 में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और 10.03.2016 पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में संज्ञान लिया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतरा द्वारा पहले ही 11.03.2016 पर ले जाया जा चुका है?

(iv) क्या न्यायिक आयुक्त-सह-विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., रांची द्वारा अपीलार्थी को न्यायिक हिरासत में भेजने का दिनांकित आदेश कानून के अनुसार है?

(v) क्या धारा 167 Cr.P.C के तहत शक्ति हो सकती है।

वर्तमान मामले में प्रयोग किया गया, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है

11.03.2016 या अभियुक्त को केवल रिमांड पर लिया जा सकता था

धारा 309 (2) Cr.P.C के तहत?

मुद्दा संख्या 1 8. वर्तमान मामले के तथ्यों में, अपीलार्थी को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए), 26,35 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 17 (1) और (2) के साथ पठित धारा 414,384,386,387,120 बी आई. पी. सी. के तहत एफ. आई. आर. No.02/2016 में <आई. डी. 2 पर जमानत दी गई थी। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 16,17,20 और 23 को जोड़ने के बाद जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार नहीं

किया गया था, बल्कि वह पहले से ही किसी अन्य मामले के संबंध में जेल में था और विशेष अदालत में एक आवेदन दायर किया गया था।

झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायाधीश ने पेशी वारंट के लिए प्रार्थना की, जिसके आवेदन की अनुमति दी गई थी, अपीलार्थी को 26.06.2018 पर अदालत में पेश किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

9. सवाल यह है कि क्या किसी आपराधिक मामले में आरोपी को कब जमानत दी जाती है, जिसमें नए अपराध जोड़े गए हैं, क्या

अभियुक्त को गिरफ्तार करना, जमानत रद्द कराना आवश्यक है, बार-बार सामने आया है, उपरोक्त प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के अलग-अलग विचार हैं। एक तरफ, उच्च न्यायालयों का विचार है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए, जो पहले से ही जमानत पर है, नए अपराधों को जोड़ने की स्थिति में, पहले की जमानत को रद्द करने की आवश्यकता है, जबकि दूसरी राय यह है कि नए अपराधों के लिए आरोपी को नए सिरे से जमानत आदेश प्राप्त करना होगा और पहले का जमानत आदेश आरोपी के लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं होगा।

10. पक्षकारों के विद्वान वकीलों ने उस परिस्थिति के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों पर भी भरोसा किया है जब

नए संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध जोड़े गए हैं। हम उपरोक्त संबंध में उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं। सीता राम सिंह और अन्न में पटना उच्च न्यायालय। बनाम। बिहार राज्य, 2002 (2) बी. एल. जे. आर. 859 ने उस मामले पर विचार किया था जहां शुरू में धारा 307 आई. पी. सी. के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इसके बाद, 06.09.2000 पर घायल लोगों की मृत्यु के कारण, आई. पी. सी. की धारा 305 जोड़ी गई। मुखबिर ने जमानत रद्द करने के लिए आवेदन किया था। पहले दी गई जमानत को बाद के घटनाक्रम को देखते हुए रद्द कर दिया गया था। में। उपरोक्त संदर्भ में, पटना उच्च न्यायालय ने प्रहलाद सिंह भाटी बनाम एन. सी. टी., दिल्ली और अन्य (2001) 4 एस. सी. सी. 280 मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति में गंभीर बदलाव पर, अभियुक्त एक छोटे से अपराध के संबंध में उसे दी गई स्वतंत्रता का हकदार नहीं बन जाता है और ऐसी परिस्थितियों में, संबंधित न्यायालय का सही दृष्टिकोण यह होगा कि वह अपने दिमाग को नए सिरे से लागू करे कि क्या अभियुक्त बदली हुई परिस्थितियों में जमानत देने का हकदार है।

11. सुखपाल बनाम राजस्थान राज्य, 1988 (1) आर. एल. डब्ल्यू. 283 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी पैराग्राफ संख्या 4 में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

" 4. इसलिए, मेरी राय है कि कानूनी स्थिति संदेह से परे है कि एक बार किसी आरोपी को Cr.P.C के अध्याय XXXIII की किसी भी धारा के तहत जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। केवल एक अन्य धारा जोड़कर उसे गिरफ्तार करने की कोई शक्ति नहीं थी जो गैर-जमानती हो सकती है। पुलिस को [2019] 8 एस. सी. आर. से आदेश लेना चाहिए।

जमानत रद्द करने के लिए न्यायालय को दिया गया

ए

व्यक्ति।

12. धीवन बनाम राज्य मामले में मद्रास उच्च न्यायालय का एक और फैसला,

(2010) 2 एम. डब्ल्यू. एन. (सी. आर.) ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया। पैराग्राफ No.11 में निम्नलिखित देखा गया थाः

" 11. उपरोक्त चर्चाओं को देखते हुए, मुझे आयोजित करने में कोई संकोच नहीं है

कि केवल इसलिए कि मामले में एक दंडात्मक प्रावधान जोड़ा गया है

एक गंभीर गैर-जमानती अपराध के लिए, पहले दी गई जमानत नहीं होगी

स्वचालित रूप से रद्द हो जाता है और इसलिए, पुलिस नहीं करेगी जमानत दिए जाने तक अभियुक्त को फिर से गिरफ्तार करने की शक्ति है

पहले उचित द्वारा एक सकारात्मक आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया जाता है अदालत।

13. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भी कुछ फैसले हैं जहाँ

इस मुद्दे को संबोधित किया गया है। उच्च न्यायालय का एक निर्णय नामतः बिजेंद्र और अन्य। बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य। , (2006) विवादित फैसले में सी. आर. आई. एल. जे. 2253 का भी उल्लेख किया गया है और उस पर भरोसा किया गया है। अनुच्छेद No.25 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैंः

" 25. दोनों पक्षों के विद्वान सलाहकारों को सुनने के बाद

धारा 437 करोड़ का विश्लेषण करने के बाद। पी. सी. यह परिवर्तित होता है कि धारा 437 गैर-जमानती अपराध के मामलों में जमानत से संबंधित है

मजिस्ट्रेट द्वारा। जहाँ तक पहले विवाद की बात है जो विद्वान ने

आवेदकों के वकील ने आगे कहा कि क्योंकि जमानत है

एक ही अपराध संख्या में दिया गया था और इसलिए केवल

धारा अभियुक्त के परिवर्तन को जेल नहीं भेजा जा सकता है यह ध्यान देने योग्य है कि मामले की अपराध संख्या का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है

सी. आर. के तहत जमानत के साथ संख्या का कोई संबंध नहीं है। पी. सी. के इस दृष्टिकोण में आवेदक के लिए विद्वान वकील के तर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता है

स्वीकार किया जाता है और इसलिए अस्वीकार कर दिया जाता है।

के लिए विद्वान वकील के दूसरे विवाद पर आते हैं आवेदक कि इस न्यायालय के लिए मजिस्ट्रेट को निर्देश देने के लिए कोई बाधा नहीं है

द्वारा विचारणीय नए जोड़े गए अपराध के लिए नए जमानत बांड स्वीकार करने के लिए सत्र न्यायालय का यह उल्लेख है कि यह निर्देश इस प्रकार होगा -

मजिस्ट्रेट से कानून के खिलाफ कुछ करने के लिए कहना। द. विवाद योग्यता से रहित है। धारा 437 Cr.P.C. एक PRADEEP RAM v से संबंधित है।

झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

अपराध, इसलिए, एक नए अपराध को जोड़ने पर, अभियुक्त को अदालत के समक्ष उपस्थित होने और जमानत लेने की आवश्यकता होती है। उसकी जमानत नहीं हो सकती।

जब तक वह आत्मसमर्पण नहीं करता और उस अपराध में हिरासत में नहीं है, तब तक उस पर विचार किया जाएगा। कोई भी आरोपी जो किसी अपराध में हिरासत में नहीं है, उसे जमानत नहीं दी जा सकती है। जमानत याचिका पर विचार के लिए अभिरक्षा अनिवार्य है। नतीजतन, जब अभियुक्त किसी अतिरिक्त अपराध का दोषी होता है और जमानत पर नहीं होता है, तो उसे उस अपराध में हिरासत में रखे बिना मुचलका जमा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नए जोड़े गए अपराधों में जमानत पाने के लिए अभियुक्त को उस अपराध में आत्मसमर्पण करना पड़ता है।

14. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अन्य मामले में बांके लाल शर्मा बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य। , (2008) सी. आर. आई. एल. जे. 3779 ने इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया कि आवेदक को नए अपराधों को जोड़ने पर नए सिरे से जमानत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, पैराग्राफ संख्या 14 में निम्नलिखित देखा गया थाः

" 14. इस स्तर पर, आवेदक के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक को नई जोड़ी गई धारा के तहत नए सिरे से जमानत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह राहत हमीदा बनाम में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए नहीं दी जा सकती है। राशिद उर्फ रशीद और ओरस। (एलवीIII) 2007 एसीसी 577, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आत्मसमर्पण के बिना नई जोड़ी गई धारा में जमानत के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है।

15. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने भी निर्णय पर भरोसा किया है।

सी. आर. एम. सी. No.270/2018 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-फयाज़ अहमद खान और अन्य। बनाम राज्य, 03.10.2018 पर निर्णय लिया, जहां जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने मनोज सुरेश जाधव और अन्य में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। (उपर्युक्त) ने यह विचार रखा कि केवल इसलिए कि एक गंभीर गैर-जमानती अपराध के संबंध में एक दंडात्मक प्रावधान जोड़ा गया है, पहले दी गई जमानत स्वचालित रूप से रद्द नहीं होगी और इसलिए, पुलिस के पास आरोपी को फिर से गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं होगी जब तक कि पहले दी गई जमानत को उपयुक्त द्वारा सकारात्मक आदेश के माध्यम से रद्द नहीं किया जाता है।

अदालत। 16. हम प्रहलाद सिंह भाटी (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा की गई एक प्रासंगिक टिप्पणी पर भी ध्यान दे सकते हैं। उपरोक्त मामले में, एक मामला था

धारा 376 और 498-ए आई. पी. सी. के तहत दर्ज अग्रिम जमानत के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था, हालांकि, आवेदन को खारिज करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा था कि यदि तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 272 के तहत मामला बनाया जाता है, तो राज्य को [2019] 8 एस. सी. आर. के लिए स्वतंत्रता होगी।

अभियुक्त को गिरफ्तार करें। जाँच के बाद, आरोप पत्र दायर किया गया था

धारा 302,406 और 498-ए। अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया क्योंकि वह पेश नहीं हुआ, गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। अभियुक्त ने धारा 482 Cr.P.C के तहत आवेदन दायर किया था।

उच्च न्यायालय। इसके बाद, आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ, उसे आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत एक मामले में भी जमानत पर भर्ती कराया गया था। अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी थी। शिकायतकर्ता ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पैराग्राफ संख्या में। 4 और 9, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

" 4. तथ्यों से, जैसा कि अपील में वर्णित है, ऐसा प्रतीत होता है कि आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए, प्रतिवादी

अभियुक्त को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और उसने रोकथाम में हेरफेर किया

संहिता और बाद में धारा 437 के तहत नियमित जमानत द्वारा एक मजिस्ट्रेट से संहिता।

..... प्रकृति के परिवर्तन के साथ

9. .....

अपराध, अभियुक्त को दी गई स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है

उसे एक छोटे से अपराध के संबंध में, यदि अपराध को एक के लिए बदल दिया जाता है

बढ़े हुए अपराध।

17. यह अदालत हमीदा बनाम राशिद उर्फ रशीद और

अन्य, (2008) 1 एस. सी. सी. 474 ने अभिनिर्धारित किया कि एक अभियुक्त को गंभीर गैर-संज्ञेय अपराध को जोड़ने के बाद आत्मसमर्पण करने और नए जोड़े गए अपराधों के लिए जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नए गैर-जमानती अपराध को जोड़ने से पहले किसी अभियुक्त को दी गई जमानत से अभियुक्त को लाभ नहीं होगा क्योंकि नए अपराध जोड़े गए हैं।

और उसे गिरफ्तारी से बचाने के लिए नए जोड़े गए अपराधों के संबंध में आत्मसमर्पण करने और जमानत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

18. चाहे नए गैर-जमानती अपराध को जोड़ने के बाद, पुलिस

प्राधिकरण नए अपराधों को जोड़ने से पहले के अपराधों के संबंध में आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकता है, जिसे न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई है या पुलिस को अनिवार्य रूप से न्यायालय से आदेश प्राप्त करना है।

जमानत रद्द करना या बदली हुई परिस्थितियों में अभियुक्त को गिरफ्तार करने की अनुमति ऐसे प्रश्न हैं जहाँ विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अलग-अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराधों को जोड़ने के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि पुलिस अधिकारियों ने PRADEEP RAM v के बाद से पेशी वारंट जारी करने के लिए अदालत के समक्ष आवेदन किया था।

झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

19. हम जमानत देने के संबंध में Cr.P.C के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय XXXIII, धारा 436 से 439 जमानत से संबंधित है। धारा 437 उस प्रावधान से संबंधित है जब गैर-जमानती अपराध के मामले में जमानत ली जा सकती है। धारा 437 (5), जो वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार हैः

" (5) कोई भी न्यायालय जिसने उप के तहत किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया हो।

धारा (1) या उप-धारा (2), यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो निर्देश दे सकती है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे हिरासत में "।

20. धारा 439 उच्च न्यायालय या न्यायालय की विशेष शक्तियों से संबंधित है।

जमानत के संबंध में सत्र। धारा 439 (2) निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" (2) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि इस अध्याय के तहत जमानत पर रिहा किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे हिरासत में ले लीजिए। "

21. धारा 437 (5) और 439 (2) दोनों अदालत को एक आरोपी को गिरफ्तार करने और उसे हिरासत में लेने का अधिकार देती हैं, जिसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

धारा 437 (5) और 439 (2) के तहत शक्ति। जमानत रद्द करने के सिद्धांत और आधार अच्छी तरह से तय किए गए हैं, लेकिन वर्तमान मामले में, हम हैं मामला केवल एक पहलू से संबंधित है, अर्थात एक ऐसा मामला जिसमें आरोपी को जमानत दिए जाने के बाद मामले में नए और गंभीर अपराध जोड़े जाते हैं। एक व्यक्ति जिसके खिलाफ गंभीर अपराध जोड़े गए हैं,

जो पहले से ही जमानत पर है, उसे धारा 437 (5) और 439 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अदालत द्वारा गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का निर्देश दिया जा सकता है। एक अभियुक्त को दी गई जमानत को रद्द करना और उसे गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का निर्देश देना कार्रवाई का एक तरीका हो सकता है।

जिसे धारा 437 (5) और 439 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय अपनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामले हो सकते हैं जहां किसी आरोपी को दी गई जमानत को रद्द किए बिना, प्रासंगिक विचार पर, अदालत आरोपी को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का निर्देश दे सकती है। गंभीर अपराधों को जोड़ना ऐसी परिस्थितियों में से एक है, जिसके तहत अदालत आरोपी को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का निर्देश दे सकती है, भले ही उस अपराध के संबंध में जमानत दी गई हो, जिसके लिए उस समय उस पर आरोप लगाया गया था जब जमानत पर विचार किया गया था और दी गई थी।

22. उपरोक्त संदर्भ में जिन निर्णयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उनमें से एक हमीदा बनाम राशिद उर्फ रशीद और अन्य (ऊपर) हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त मामले में, अभियुक्त को निम्नलिखित अपराधों के लिए जमानत दी गई थीः

आई. पी. सी. की धारा 324,352 और 506। पीड़ित ने रात में 16.06.2005 और 17.06.2005 के बीच में दम तोड़ दिया। इसके बाद इस अपराध को आई. पी. सी. की धारा 304 में बदल दिया गया। अभियुक्तों द्वारा आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत अपराध को एक में बदलने के बाद भी उन्हें एक ही जमानत पर रहने की अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने अनुमति दी थी। शिकायतकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ इस अदालत में विशेष अनुमति द्वारा अपील दायर की। इस न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया और अभियुक्त को उन अपराधों के लिए जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ हिरासत में लेने का निर्देश दिया, जिनके लिए उस पर कानून के अनुसार उचित न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया गया था। इस अदालत ने आगे कहा कि आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत अपराध को अपराध में परिवर्तित करने के बाद आरोपी नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित किया हैः

नं. 10 , 11 और 12:

" 10. हाथ में मामले में, प्रतिवादी-आरोपी आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत अपराध को एक में परिवर्तित करने के बाद नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर की।

जिसके तहत उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता होती क्योंकि जमानत याचिका पर तभी विचार किया जा सकता था और सुनवाई की जा सकती थी जब आरोपी हिरासत में होते। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई प्रतिकूल आदेश नहीं प्रत्यर्थियों-अभियुक्त को किसी भी अदालत द्वारा पारित किया गया था और न ही न्याय का कोई गर्भपात या कोई अवैधता थी। ऐसे में

परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका पर विचार करने और अधीनस्थ अदालत को आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत अपराध के लिए जमानत और जमानत बांड स्वीकार करने का निर्देश जारी करने में कानून की स्पष्ट त्रुटि की। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रभाव यह है कि जिस दिन उन्हें हिरासत में लिया गया था, उसी दिन अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 324,352 और 506 के तहत एक अपराध में जमानत मिलने के बाद, घायल व्यक्ति के चोटों के कारण दम तोड़ने के बाद भी उनके पक्ष में जमानत का आदेश मिला था और मामले को गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच किए बिना आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत एक में परिवर्तित कर दिया गया था, क्योंकि यह अपराध के रूपांतरण के बाद था। धारा 439 सी. आर. पी. सी. के तहत जमानत देने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, हालांकि उत्तरदाताओं के लिए उपलब्ध है-आरोपी, जिसका लाभ नहीं उठाया गया है, पी. आर. ए. डी. ई. पी. आर. ए. एम. v.

झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति स्पष्ट रूप से अवैध है और उसके द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए।

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराध के लिए जमानत को नए जमानती और जमानत बांड प्रस्तुत करने पर अलग कर दिया जाता है। प्रतिवादी-अभियुक्त को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि यह अभियुक्तों-उत्तरदाताओं के लिए खुला रहेगा। उन अपराधों के लिए
जमानत के लिए आवेदन करना जिनके लिए उन पर उपयुक्त अदालत के समक्ष और कानून के अनुसार आरोप लगाया जाता है।

23. हम इस न्यायालय के एक और फैसले पर ध्यान दे सकते हैं जो मीथाभाई पाशाभाई पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य, (2009) में रिपोर्ट किया गया है। 6 एससीसी 332। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने पैराग्राफ 18 में निम्नलिखित निर्धारित किया है:

" 18. याचिकाकर्ताओं को जमानत मिल गई थी। वे अदालत की हिरासत में नहीं हैं। जब तक उनकी जमानत रद्द नहीं की जाती, उन्हें सामान्य रूप से हिरासत में नहीं लिया जा सकता था। उच्च न्यायालय, हमारी राय में, यह अभिनिर्धारित करने में सही नहीं था कि चूंकि आगे की जांच की आवश्यकता थी, संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करती है। पुलिस रिमांड की मंजूरी "।

24. उपरोक्त मामले में इस अदालत ने जो कहा वह यह है कि जिन अभियुक्तों को जमानत दी गई है और वे हिरासत में नहीं हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता है आम तौर पर हिरासत जब तक कि उनकी जमानत रद्द नहीं की गई थी। क्या उपरोक्त अवलोकन से यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि जब तक पहले दी गई जमानत रद्द नहीं की जाती है, तब तक न्यायालय को अभियुक्त को हिरासत में लेने का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है।

25. हमें Cr.P.C की धारा 437 (5) और 439 (2) के प्रावधानों पर फिर से गौर करना पड़ सकता है। Cr.P.C की धारा 437 की उप-धारा (5) में [2019] 8 एस. सी. आर. का उपयोग किया गया है।

अभिव्यक्ति 'यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो निर्देश दें कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे हिरासत में लिया जाए'। इसी तरह, Cr.P.C की धारा 439 की उप-धारा (2) प्रदान करती हैः ' निर्देश दे सकता है कि इस अध्याय के तहत जमानत पर रिहा किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे अभिरक्षा में रखा जाए। उपरोक्त प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने से संकेत मिलता है कि प्रावधान अनिवार्य रूप से यह प्रावधान नहीं करता है कि अदालत को ऐसे आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश देने से पहले, जिसे पहले ही जमानत दी जा चुकी है, उसकी पिछली जमानत को रद्द करना आवश्यक है। अदालत को पारित करने का विवेकाधिकार दिया गया है ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसे अभिरक्षा में सौंपने का निर्देश देने के ऐसे आदेश जो पहले की जमानत को रद्द करने के आदेश या गंभीर और गैर-संज्ञेय अपराधों को जोड़ने के कारण ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार करने की अनुमति के साथ हो सकता है। मीथाभाई पाशाभाई पटेल (उपरोक्त) मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में फैसले के पैराग्राफ 18 में 'साधारण' शब्द का उपयोग किया गया है जिसे इस रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि आरोपी को पहले दी गई जमानत को जांच अधिकारी के समक्ष रद्द करना पड़ता है ताकि उसे गंभीर और गैर-संज्ञेय अपराधों के कारण गिरफ्तार किया जा सके।

26. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में इस न्यायालय के दिनांकित 07.05.2018 के आदेश पर भरोसा किया है। 2017 का No.10179-मनोज सुरेश जाधव और अन्य। बनाम। महाराष्ट्र राज्य। उपरोक्त मामले में, याचिकाकर्ताओं को निम्नलिखित दंडनीय अपराध के लिए जमानत दी गई थीः

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 509। जाँच के दौरान,

पुलिस ने आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत एक और अपराध जोड़ा और आरोपी को फिर से गिरफ्तार किया। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः

हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

प्रत्यर्थी-राज्य के लिए यह अनुमति नहीं है कि वह याचिकाकर्ताओं को केवल 02.06.2016 द्वारा पारित आदेश की अनदेखी करके फिर से गिरफ्तार करे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे, जो उस समय लागू था।

हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ताओं को उसी शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाएगा जैसा कि दिनांकित उपरोक्त आदेश में लगाया गया है।

02.06.2016 विद्वान सत्र न्यायाधीश, पुणे द्वारा।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी-राज्य PRADEEP RAM v को लागू करने के लिए स्वतंत्र है।

झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

जमानत रद्द करने और याचिकाकर्ताओं की हिरासत की मांग करने के लिए

अभियुक्त।

उपरोक्त निर्देशों के साथ, विशेष अनुमति याचिका है

निकाल दिया "।

27. उपरोक्त आदेश पर भरोसा करते हुए, विद्वान वकील

अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि प्रत्यर्थी राज्य को अपीलार्थी की अभिरक्षा की मांग करने से पहले अपीलार्थी को जमानत देने वाले दिनांकित 10.03.2016 आदेश को रद्द कर देना चाहिए। यह सच हो सकता है कि एक आपराधिक मामले में केवल एक अपराध को जोड़कर, जिसमें आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, जांच अधिकारी स्वयं आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं और उन्हें आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अदालत से, जिसने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है। यह अभियुक्त के लिए भी खुला है, जो पहले से ही जमानत पर है और जिनके संबंध में नए मामलों के संबंध में जमानत के लिए आवेदन करने के लिए गंभीर अपराध जोड़े गए हैं।

अपराध जोड़े गए और अदालत दिमाग लगाने के बाद या तो जमानत देने से इनकार कर सकती है या नए अपराधों के संबंध में जमानत दे सकती है। एक मामले में, नए जोड़े गए अपराधों के लिए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है, आरोपी को बहुत अच्छी तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है। सभी मामलों में, जहां अभियुक्त को न्यायालय के आदेशों के तहत जमानत दी जाती है और गंभीर प्रकृति के अपराधों सहित नए अपराध जोड़े जाते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि सभी मामलों में गिरफ्तारी की अनुमति देने से पहले न्यायालय द्वारा पूर्व जमानत रद्द कर दी जाए। नए अपराधों के आधार पर अभियुक्त। धारा 437 (5) और 439 (2) के तहत शक्ति विधायिका द्वारा अदालत को दी गई व्यापक शक्तियां हैं जिनके तहत अदालत किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की अनुमति दे सकती है और पहले के संबंध में जमानत रद्द किए बिना उसे हिरासत में ले सकती है।

अपराध। धारा 437 (5) और 439 (2) को प्रतिबंधित तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है कि आरोपी को गिरफ्तार करने और उसे हिरासत में देने का आदेश अदालत द्वारा पहले की जमानत को रद्द करने के बाद ही पारित किया जा सकता है।

28. वर्तमान मामले पर वापस आते हुए, अपीलार्थी पहले से ही एक अन्य मामले के संबंध में जेल हिरासत में था और जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए. अदालत के समक्ष आवेदन किया कि आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए पेशी वारंट जारी किया जाए। विशेष न्यायाधीश ने पेशी वारंट की मंजूरी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, अभियुक्त था

26.06.2018 पर अदालत के समक्ष पेश किया गया और हिरासत में भेज दिया गया। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, अभियुक्त को अदालत की अनुमति से पेश किया गया था। इस प्रकार, वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां जांच एजेंसी ने स्वयं नए अपराधों को जोड़ने के बाद अपीलार्थी को हिरासत में लिया है, बल्कि आरोपी को [2019] 8 एस. सी. आर. द्वारा अदालत से प्राप्त पेशी वारंट के अनुसरण में अदालत में पेश किया गया था।

जाँच एजेंसी। इस प्रकार हम अपीलार्थी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के संबंध में विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए. न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों में, विशेष न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह अभियुक्त अपीलार्थी को उसके समक्ष पेश करने या उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की अनुमति देने से पहले अपीलार्थी को दी गई दिनांकित जमानत को रद्द करने का आदेश पारित करे।

29. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं -

ऐसी परिस्थिति के संबंध में निष्कर्ष जहां किसी अभियुक्त को जमानत देने के बाद, आगे संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध जोड़े जाते हैंः

(i) अभियुक्त आत्मसमर्पण कर सकता है और नए जोड़े गए संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों के लिए जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। इनकार करने की स्थिति में

जमानत पर, आरोपी को निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है।

((ii) जाँच एजेंसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए Cr.P.C की धारा 437 (5) या 439 (2) के तहत अदालत से आदेश ले सकती है।

और उसकी हिरासत।

(iii) न्यायालय, Cr.P.C की धारा 437 (5) या 439 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, उस अभियुक्त को हिरासत में लेने का निर्देश दे सकता है जिसे उसकी जमानत रद्द होने के बाद पहले ही जमानत दे दी गई है। अदालत धारा 437 (5) के साथ-साथ धारा 439 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसे दोषी ठहराने का निर्देश दे सकती है जिसे पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

गंभीर और गैर-संज्ञेय अपराधों को जोड़ने पर हिरासत में लेना जो रद्द करने के आदेश के साथ हमेशा आवश्यक नहीं हो सकते हैं।

पहले की जमानत।

(iv) ऐसे मामले में जहां किसी आरोपी को पहले ही जमानत दे दी गई है, जांच प्राधिकरण किसी अपराध या अपराध को जोड़ने पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन अपराध या अपराधों को जोड़ने पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

अदालत जिसने जमानत दे दी थी।

30. मुद्दा संख्या 1 का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

मुद्दा Nos.2 और 3

31. केंद्र सरकार उप के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही है

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 8 के साथ पठित धारा 6 की धारा 5 ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

RADEEP RAM v. झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

" एफ. नं. 11011/08/2018/एन. आई. ए.

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

सीटीसीआर प्रभाग

नॉर्थ ब्लॉक,

नई

दिल्ली

दिनांक 13 फरवरी, 2018

आदेश

जबकि, केंद्र सरकार को जानकारी मिली है

मामला दर्ज करने के संबंध में एफ. आई. आर. सं. 02/2016 दिनांक 11.01.2016

टंडवा पुलिस चौकी, जिला चतरा, झारखंड में भारतीय दंड संहिता की धारा 414,384,386,387,120 बी, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए), 26,35 और झारखंड और बिहार जैसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में माओवादी कैडरों द्वारा जबरन वसूली/वसूली संग्रह/धन शोधन की घटनाओं से संबंधित आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 17 (1) (2)।

और जबकि, गैरकानूनी गतिविधियों की धारा 16,17,20,23

(रोकथाम) अधिनियम, 1967 को बाद में जाँच के दौरान जोड़ा गया।

और जबकि, केंद्र सरकार को ध्यान में रखते हुए

उक्त अपराध की गंभीरता की राय है कि इसमें शामिल अपराध एक अनुसूचित अपराध है जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा निम्नलिखित के अनुसार की जानी चाहिएः

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008।

अब, इसलिए, अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 8 के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा 5 के तहत केंद्र सरकार स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को उपरोक्त मामले की जांच करने का निर्देश देती है।

एस. डी./-

अमान्य

(धर्मेन्द्र कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव "

32. एन. आई. ए. ने केंद्र सरकार [2019] 8 एस. सी. आर. के आदेश के अनुसरण में एफ. आई. आर. दर्ज की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांक 13.02.2018, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि 16.02.2018 दिनांकित एफ़. आई. आर. दूसरी एफ़. आई. आर. है, इसलिए इसे दर्ज नहीं किया जा सकता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक घटना के संबंध में केवल एक प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और दूसरी प्राथमिकी दर्ज करना अवैध है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने उसकी प्रस्तुति के समर्थन में टी. टी. में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा है। एंटनी बनाम केरल राज्य और अन्य, (2001) 6 एस. सी. सी. 181; बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2010) 12 एस. सी. सी. 254; चिर्रा शिवराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2010) 14 एस. सी. सी. 444 और अमितभाई अनिलचंद्र शाह बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य। , (2013) 6 एससीसी348। 33. टी. टी. एंटनी (ऊपर) में एक घटना के संबंध में जो 1994 की अपराध संख्या 353 और अपराध संख्या 354 पर हुई थी

1994 का मामला कन्नूर जिले के कुथुपरम्बा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। राज्य सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत जांच आयोग नियुक्त किया, जिसने 27.05.1997 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। एक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, केरल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्वीकृति के संबंध में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा

सरकार द्वारा आयोग की रिपोर्ट और निर्देश दिया कि आयोग के निष्कर्षों के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस महानिदेशक ने 02.07.1997 पर पुलिस महानिरीक्षक को तुरंत मामला दर्ज करने और एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसकी जांच करने का आदेश जारी किया। 04.07.1997 पर पुलिस महानिरीक्षक ने नोट किया कि अधिकार क्षेत्र के बिना गोलीबारी, जिसके द्वारा लोग मारे गए थे, हत्या के बराबर है और स्टेशन हाउस अधिकारी को उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने और प्राथमिकी की जांच प्रति पुलिस उप महानिरीक्षक को भेजने का निर्देश जारी किया। इसके बाद, 1997 के अपराध के रूप में एक और मामला दर्ज किया गया, जिसे केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी। एकल न्यायाधीश ने सी. बी. आई. द्वारा पुनः जाँच के लिए निर्देश दिया। डिवीजन बेंच ने अपील पर सीबीआई द्वारा जांच के बजाय तीन वरिष्ठ अधिकारियों में से एक के नेतृत्व में राज्य पुलिस द्वारा नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया। उक्त फैसले के खिलाफ इस अदालत में अपील दायर की गई थी। एक प्रश्न, जिसे इस न्यायालय द्वारा पैरा 15 (i) में विचार के लिए नोट किया गया था, निम्नानुसार हैः

" 15. इन विवादों पर, निर्धारण के लिए चार बिंदु उत्पन्न होते हैंः

(i) क्या एक नया मामला दर्ज किया गया है, PRADEEP RAM का अपराध संख्या 268 v.

1997 , कुथुपरंबा पुलिस थाना डी. जी. पी. के दिनांकित 2-7-1997 के पत्र के आधार पर, जो कि धारा 154 सी. आर. पी. सी. के तहत दूसरी एफ़. आई. आर. की प्रकृति में है, वैध है और यह

एक नई जांच का आधार बन सकता है;

XXXXXXXX "

34. इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के अनुसार केवल सबसे पहले या प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में

संज्ञेय अपराध का होना एफ़. आई. आर. की आवश्यकताओं को पूरा करता है और कोई दूसरा एफ़. आई. आर. नहीं हो सकता है। पैराग्राफ No.20 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया हैः

" 20. उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि इस योजना के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154,155,156,157,162,169,170 और 173 के प्रावधानों के संबंध में केवल सबसे पुरानी या पहली जानकारी

संज्ञेय अपराध करना निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता हैः

धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता। इस प्रकार कोई दूसरी एफ. आई. आर. नहीं हो सकती और

संज्ञेय अपराध या संज्ञेय अपराध या अपराधों को जन्म देने वाली घटना और स्टेशन हाउस डायरी में प्राथमिकी दर्ज करने पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को न केवल प्राथमिकी में दर्ज संज्ञेय अपराध की जांच करनी होती है, बल्कि एक ही लेनदेन या एक ही घटना के दौरान किए गए अन्य संबंधित अपराधों की भी जांच करनी होती है और एक या एक से अधिक रिपोर्ट दायर करनी होती है। जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में प्रावधान किया गया है।

35. यही सिद्धांत बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य (ऊपर) और चिर्रा शिवराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दोहराया गया है। (ऊपर)। यह न्यायालय अमितभाई अनिलचंद्र शाह बनाम केंद्रीय मामले में

जांच ब्यूरो (उपरोक्त) को फिर से दूसरी प्राथमिकी की वैधता पर विचार करने का अवसर मिला। "दूसरी एफ. आई. आर. की अनुमति/अनिवार्यता के रूप में कानूनी पहलू" शीर्षक के तहत पहले के फैसलों की समीक्षा करने के बाद।

इस न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या में निम्नलिखित निर्धारित किया है। 36 और 37:

" 36. आइए अब याचिकाकर्ता अमित शाह के साथ-साथ सी. बी. आई. द्वारा उठाए गए कानूनी पहलुओं पर विचार करें। तथ्यगत विवरण जो हमारे पास हैं पहले के पैराग्राफ में चर्चा से पता चलता है कि

दिनांक [2019] 8 एस. सी. आर. के आदेश द्वारा सी. बी. आई. को जाँच की शुरुआत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12-1-2010 दिनांक 1 का आरोप-पत्र दाखिल होने तक, इस न्यायालय ने तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ को नवंबर 2005 में कथित रूप से रची गई एक ही साजिश का परिणाम माना है, जो अंततः 2006 में समाप्त हुई थी। ऐसी परिस्थितियों में, दूसरी एफ. आई. आर. और उसके लिए एक नया आरोप पत्र दायर करना संहिता के प्रावधानों के विपरीत है जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता की जांच, मुकदमा नहीं चलाया जा रहा था और "कानून के अनुसार" मुकदमा नहीं चलाया जा रहा था।

37. इस न्यायालय ने संहिता की व्याख्या करने वाले मुद्दे पर लगातार कानून निर्धारित किया है कि किसी अपराध या उसी दौरान किए गए विभिन्न अपराधों के संबंध में दूसरी प्राथमिकी दर्ज की जाए।

लेन-देन न केवल अनुज्ञेय है बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। टी. टी. एंटनी 3 में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि दूसरी एफ. आई. आर. दर्ज करना (जो एक दूसरे के खिलाफ मामला नहीं है) संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। उस निर्णय के पैरा 19,20 और 27 में निम्नलिखित निष्कर्ष प्रासंगिक हैं जो निम्नानुसार हैंः (एससीसी पीपी। 196-97 & 200)

" 19. सी. आर. पी. सी. की योजना यह है कि एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जांच शुरू करनी होती है जैसा कि इसमें दिया गया है।

प्रथम की प्रविष्टि के आधार पर धारा 156 या 157 दंड प्रक्रिया संहिता

किसी संज्ञेय अपराध के होने का पता चलने पर सूचना रिपोर्ट। जाँच पूरा होने पर और एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर, उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 या 170 के तहत एक राय बनानी होगी, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी।

हालाँकि, इस तरह की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी, अगर वह अंदर आता है

अधिक जानकारी या सामग्री रखने की आवश्यकता नहीं है।

एक नई एफ. आई. आर. दर्ज करें; उसे आगे करने का अधिकार है। जांच, आम तौर पर अदालत की अनुमति के साथ, और जहां आगे की जांच के दौरान वह आगे के साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी एकत्र करता है, वह उसे एक या अधिक आगे की रिपोर्टों के साथ आगे बढ़ाने के लिए बाध्य है; यह उप-धारा (8) का तात्पर्य है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173।

20. उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154,155,156,157,162,169,170 और 173 के प्रावधानों की योजना के तहत केवल सबसे पहली या पहली जानकारी दी गई है।

संज्ञेय अपराध करने के लिए संतुष्ट करता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की आवश्यकताएँ। इस प्रकार कोई दूसरा DEEP RAM v नहीं हो सकता है।

झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

एफ. आई. आर. और परिणामस्वरूप एक ही संज्ञेय अपराध या एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देने वाली एक ही घटना या घटना के संबंध में प्रत्येक बाद की जानकारी प्राप्त होने पर कोई नई जांच नहीं हो सकती है। संज्ञेय अपराध या संज्ञेय अपराध या अपराध को जन्म देने वाली घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर और प्रवेश करने पर स्टेशन हाउस डायरी में एफ. आई. आर., एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को न केवल एफ. आई. आर. में दर्ज संज्ञेय अपराध की जांच करनी होती है, बल्कि एक ही लेन-देन या एक ही घटना के दौरान किए गए अन्य संबंधित अपराधों की भी जांच करनी होती है और धारा 173 सी. आर. पी. सी. में प्रदान की गई एक या अधिक रिपोर्ट दायर करनी होती है।

*

*

*

27. संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और किसी संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए पुलिस की व्यापक शक्ति के बीच न्यायसंगत संतुलन अदालत द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उप-धारा (8) पुलिस को अधिकार देती है कि

आगे की जाँच करें, आगे के साक्ष्य (मौखिक और दस्तावेजी दोनों) प्राप्त करें और आगे की रिपोर्ट या रिपोर्ट को आगे भेजें

मजिस्ट्रेट। हालाँकि, नारंग मामले में यह देखा गया कि आगे की जाँच करना उचित होगा।

अदालत की अनुमति से। हालांकि, जांच की व्यापक शक्ति एक ही घटना के संबंध में हर बार एक नागरिक को पुलिस द्वारा नए सिरे से जांच के अधीन करने की गारंटी नहीं देती है, जो एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देती है, जिसके परिणामस्वरूप एक के बाद एक प्राथमिकियां दर्ज की जाती हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद। यह स्पष्ट रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 और 156 के दायरे से बाहर होगा।

एक ही लेन-देन के दौरान कथित रूप से किया गया अपराध और जिसके संबंध में पहली प्राथमिकी के अनुसार या तो जांच चल रही है या धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है, धारा 482 सी. आर. पी. सी. या [2019] 8 एस. सी. आर. के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए उपयुक्त मामला।

संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत "।

इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त विधि की घोषणा कभी नहीं की गई है। बाद के किसी भी न्यायिक निर्णय में कमजोर किया गया, तब भी जब

अपवादों को तराशना "।

36. अनुच्छेद 58.1 से 58.10 में निर्णयों का सारांश है। ग्राफ संख्या 58.3 और 58.4 निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैंः

" 58.3 . इस तरह की रिपोर्ट दाखिल करने के बाद भी, अगर वह अपने कब्जे में आता है

संज्ञेय अपराध करने के लिए संतुष्ट करता है संहिता की धारा 154 की आवश्यकताएँ। इस प्रकार, कोई दूसरी एफ. आई. आर. नहीं हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप, उसी संज्ञेय अपराध या उसी घटना या घटना के संबंध में हर बाद की जानकारी प्राप्त होने पर कोई नई जांच नहीं हो सकती है।

एक या अधिक संज्ञेय अपराधों के लिए। 58.4 . इसके अलावा, किसी संज्ञेय अपराध या संज्ञेय अपराध या अपराध को जन्म देने वाली घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर और स्टेशन हाउस डायरी में प्राथमिकी दर्ज करने पर, प्रभारी अधिकारी

पुलिस स्टेशन को न केवल संज्ञेय की जांच करनी है

एफ. आई. आर. में दर्ज अपराध लेकिन अन्य संबंधित अपराध भी

मजिस्ट्रेट को आगे रिपोर्ट करें। दूसरी या लगातार दर्ज की गई प्राथमिकियों के आधार पर नए सिरे से जांच का मामला एक काउंटर नहीं है मामला, उसी या संबंधित संज्ञेय अपराध के संबंध में दायर किया गया है जो एक ही लेन-देन के दौरान कथित रूप से किया गया है और जिसके संबंध में पहली प्राथमिकी के अनुसार या तो जांच चल रही है या धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है, PRADEEP RAM v के साथ हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी है।

37. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि उसी के संबंध में दूसरी प्राथमिकी दर्ज की जाए। अपराध प्रतिबंधित हैं। लेकिन क्या वर्तमान मामले में एन. आई. ए. द्वारा दर्ज की गई एफ़. आई. आर. को दूसरी एफ़. आई. आर. कहा जा सकता है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने से पहले, हमें एन. आई. ए. अधिनियम, 2008 की योजना पर गौर करने की आवश्यकता है।

38. एन. आई. ए. अधिनियम, 2008 को राष्ट्रीय स्तर पर एक जांच एजेंसी के गठन के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि अपराधों की जांच और मुकदमा चलाया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रस्तावों को लागू करना और उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए। 39. अधिनियम की धारा 3 से 5 राष्ट्रीय जांच एजेंसी से संबंधित है। अध्याय III राष्ट्रीय जाँच अभिकरण द्वारा जाँच से संबंधित है। धारा 6 से 8, जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक हैं, निम्नानुसार हैं:

(3) राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई या अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर यह निर्धारित करेगी कि क्या अपराध एक अनुसूचित अपराध है या नहीं और यह भी कि क्या अपराध की गंभीरता और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह एजेंसी द्वारा जांच किए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

(4) जहां केंद्र सरकार की राय है कि अपराध एक अनुसूचित अपराध है और यह एजेंसी द्वारा जांच के लिए एक उपयुक्त मामला है, तो वह एजेंसी को उक्त [2019] 8 एस. सी. आर. की जांच करने का निर्देश देगी।

अपराध। (5) इस धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यदि केंद्र सरकार की राय है कि कोई अनुसूचित अपराध किया गया है जिसकी इस अधिनियम के तहत जांच की जानी आवश्यक है, तो वह स्वतः संज्ञान लेते हुए एजेंसी को उक्त अपराध की जांच करने का निर्देश दे सकती है।

(6) जहां उप-धारा (4) या उप-धारा (5) के तहत कोई निर्देश दिया गया है, वहां राज्य सरकार और अपराध की जांच कर रहे राज्य सरकार का कोई पुलिस अधिकारी आगे नहीं बढ़ेगा।

जाँच के साथ और तुरंत संबंधित को प्रेषित करेगा

एजेंसी को दस्तावेज़ और रिकॉर्ड।

(7) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जब तक एजेंसी मामले की जांच शुरू नहीं करती है, तब तक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह मामले को जारी रखे।

जांच पड़ताल की। 7. राज्य सरकार को जाँच हस्तांतरित करने की शक्ति। -—

इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच करते समय, एजेंसी, अपराध की गंभीरता और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, हो सकता है

(क) यदि ऐसा करना समीचीन है, तो राज्य सरकार से अनुरोध करें कि -

जाँच के साथ खुद को संबद्ध करें; या

(ख) केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, मामले को जांच के लिए राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दिया जाए।

और अपराध का मुकदमा।

किसी भी अनुसूचित अपराध की जांच करने वाली एजेंसी भी कर सकती है अभियुक्त पर आरोप लगे किसी अन्य अपराध की जाँच करें।

यदि अपराध अनुसूचित के साथ जुड़ा हुआ है

अपराध "।

40. इसके अलावा, धारा 6 के तहत, केंद्र सरकार को न्यायालयों का गठन करना होता है और धारा 13 की उप-धारा (1) के आधार पर प्रावधान करता है

" संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एजेंसी द्वारा जांच किए गए प्रत्येक अनुसूचित अपराध का मुकदमा केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में यह किया गया था। 41. अधिनियम की अनुसूची, वस्तु संख्या 2 में उल्लेख किया गया है "गैरकानूनी PRADEEP RAM v.

झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 "। इस प्रकार, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत कोई भी अपराध एक अनुसूचित अपराध है। जब गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराध थे

एन. आई. ए. ने अपराध No.02/2016 के मामले में कहा कि एन. आई. ए. को जांच सौंपकर धारा 6 की उप-धारा 5 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार का आदेश जारी किया गया है, एन. आई. ए. अपराध की जांच करने और एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम है।

42. आगे बढ़ने से पहले, हम वर्तमान मामले की कुछ विशेषताओं पर ध्यान दे सकते हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ए मामले में आरोप पत्र अपराध No.02/2016 जांच एजेंसी द्वारा 10.03.2016 पर प्रस्तुत किया गया था और 11.03.2016 पर संज्ञान लिया गया था। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराधों को 09.04.2017 पर जोड़ा गया था। आई. डी. 1 पर आरोप तय किए गए, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराधों को पहली बार आई. डी. 2 पर जोड़ा गया, इस प्रकार, अप्रैल, 2017 से पहले गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराधों की जांच का कोई अवसर नहीं था। आई. डी. 2 दिनांकित आरोप पत्र और आई. डी. 1 पर बनाए गए आरोप गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराधों के संबंध में नहीं थे, इस प्रकार, जब केंद्र सरकार ने एन. आई. ए. को अनुसूचित अपराधों के तहत अपराध की जांच करने का निर्देश दिया, तो एन. आई. ए. अपराधों की जांच करने और अपराधों के बारे में जानकारी देने के लिए पूरी तरह से सक्षम था।

पूरक रिपोर्ट। प्रेजेंट एक ऐसा मामला नहीं है जहाँ कोई शुल्क गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत दंडनीय अपराध अप्रैल, 2017 से पहले उपलब्ध थे, इस प्रकार, एन. आई. ए. केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मामले में आगे की जांच करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था।

43. धारा 6 की उप-धारा (6) राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पुलिस अधिकारी को आगे बढ़ने से रोकती है। जांच पड़ताल की। वर्तमान मामले में, जब केंद्र द्वारा आदेश जारी किया गया था

सरकार 13.02.2018 पर, यह राज्य सरकार के पुलिस अधिकारी के लिए जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए सक्षम नहीं था। इस प्रकार, हमारी राय है कि एन. आई. ए. द्वारा आई. डी. 1 पर फिर से दर्ज की गई एफ़. आई. आर. को अपराधों की दूसरी एफ़. आई. आर. नहीं माना जा सकता है, बल्कि एन. आई. ए. अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए एफ़. आई. आर. का फिर से पंजीकरण किया गया था और एफ़. आई. आर. का फिर से पंजीकरण केवल प्रक्रिया संबंधी अधिनियम है जिससे अपराधों की शुरुआत की जा सकती है।

एन. आई. ए. अधिनियम के तहत जांच और मुकदमा। अतः एफ. आई. आर. का पुनः पंजीकरण न तो वर्जित है और न ही यह माना जा सकता है कि यह दूसरी एफ. आई. आर. है।

44. जहाँ तक [2019] 8 एस. सी. आर. के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों की बात है।

अपीलकर्ता कि एन. आई. ए. कोई जाँच नहीं कर सकता या कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकता,

चूंकि जाँच पहले ही पूरी हो चुकी थी और आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, इसलिए आरोप पत्र 16.03.2016 पर प्रस्तुत किया गया था और 19.09.2016 पर आरोप बनाए गए थे, जिस तारीख तक गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराध भी नहीं जोड़े गए थे, क्योंकि पहली बार गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराधों को 09.04.2017 पर जोड़ा गया था। धारा 173 Cr.P.C द्वारा वर्णित योजना स्वयं इंगित करती है कि धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी, पुलिस अधिकारियों के लिए आगे की जांच करने और दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य दोनों एकत्र करने और धारा 173 (8) के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हमेशा खुला रहता है। इस संदर्भ में, विनय त्यागी बनाम इरशाद अली उर्फ दीपक मामले में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है।

और अन्य, (2013) 5 एस. सी. सी. 762, जिस मामले में प्रावधानों की जांच करने और धारा 173 Cr.P.C द्वारा वर्णित योजना को विस्तृत करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ No.15 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

" 15. एक बहुत व्यापक शक्ति जांच एजेंसी में निहित है

धारा 173 (2) के संदर्भ में रिपोर्ट दाखिल करने के बाद आगे की जांच करें। विधायिका ने विशेष रूप से इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया है "धारा 173 (2) के तहत मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजे जाने के बाद इस धारा में कुछ भी अपराध के संबंध में आगे की जांच को बाधित करने के लिए नहीं माना जाएगा", जो स्पष्ट रूप से विधायी इरादे को इंगित करता है कि दाखिल करने के बाद भी

सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट का,

जाँच अधिकारी अभी भी आगे की जाँच कर सकता है और जहाँ इस तरह की जाँच के बाद, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक या दस्तावेजी सबूत मिलते हैं, तो वह आगे भेजेगा।

मजिस्ट्रेट को इस संबंध में एक और रिपोर्ट या रिपोर्ट

निर्धारित प्रपत्र में साक्ष्य। दूसरे शब्दों में, जाँच एजेंसी धारा 173 (8) के संदर्भ में अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में पूरक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सक्षम है। पूरक रिपोर्ट को अदालत द्वारा प्राथमिक रिपोर्ट की निरंतरता में माना जाना चाहिए।

और कानून के वही प्रावधान यानी धारा 173 की उप-धारा (2) से उप-धारा (6) तब लागू होंगे जब अदालत ऐसे मामलों से निपटती है।

रिपोर्ट करें "।

45. यह न्यायालय फिर से अमृतभाई शंभूभाई पटेल बनाम।

सुमनभाई कांतिभाई पटेल और अन्य, (2017) 4 एससीसी 177 धारा 173 (8) के प्रावधानों को वैधानिक रूप से ध्यान में रखा गया जैसा कि Cr.P.C, 1973 में जोड़ा गया था। आर. ए. डी. ई. पी. आर. ए. एम. वी. में भारत के विधि आयोग की 41 वीं रिपोर्ट पर ध्यान देने के बाद।

झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]धारा 173 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित किया हैः

20 और 21:

" 20. नव जोड़ी गई उप-धारा (8), जैसा कि इसके पाठ से पता चलता है, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा आगे की जांच की अनुमति देती है।

उप-धारा (2) के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के बाद किसी अपराध के संबंध में संबंधित है और मजिस्ट्रेट के सामने निर्धारित प्रपत्र में एक और रिपोर्ट रखने के लिए भी, जिसके बाद ऐसी जांच के बाद वह मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करता है। यह आगे निर्धारित किया गया है कि इस तरह की आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, उप-धारा (2) से (6) में निहित अनिवार्यताएं लागू होंगी।

ऐसी सभी रिपोर्टों या रिपोर्टों के संबंध में भी।

21. उप-धारा (8) का एकीकरण स्वयंसिद्ध रूप से बाद में होता है।

संबंधित मजिस्ट्रेट को आगे रिपोर्ट करें। ऐसा माना जा रहा है महत्व, 1973 की संहिता में धारा 173 (8) को डिजाइन करने के लिए जानबूझकर लागू की गई भाषा को ध्यान में रखते हुए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हालांकि एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को स्पष्ट शब्दों में आगे की जांच करने और मौखिक या मौखिक रूप से साक्ष्य को आत्मसात करते हुए एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है।

उक्त कार्यवाही के दौरान प्राप्त दस्तावेजी, मजिस्ट्रेट को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है क्योंकि न्यायालय कार्यवाही के नियंत्रण में है। हालाँकि, यह अब समग्र नहीं है कि एक मजिस्ट्रेट, यदि ऐसा करने के लिए अनिवार्य है, तो न्याय के कारण का समर्थन करने के लिए, धारा 173 (8) के तहत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी आगे की जांच शुरू कर सकता है। क्या ऐसी शक्ति स्वतः उपलब्ध है या सूचना देने वाले द्वारा की गई प्रार्थना पर, संज्ञान लेने के बाद जांच एजेंसी द्वारा अनुरोध के अभाव में और जारी की गई प्रक्रिया के जवाब में आरोपी के पेश होने के बाद मुकदमा चल रहा है, यह जांच का मुद्दा है।

यहाँ "। 46. पैराग्राफ No.31 में, यह दोहराया गया था कि

1898 की संहिता के तहत भी आगे की जांच करने के लिए समाप्त नहीं किया गया था, जब नई जानकारी [2019] 8 एस. सी. आर. हो तो जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।

प्रकाश में आएगा। पैराग्राफ No.31 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 31. इस न्यायालय ने राम लाल में भी अपनी टिप्पणियों को दोहराया।

नारंग, (1979) 2 एस. सी. सी. 332, इस प्रभाव से कि मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने पर, 1898 की संहिता के तहत भी आगे की जांच करने का पुलिस का अधिकार समाप्त नहीं हुआ था और जब नई जानकारी सामने आएगी तो वह जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। कि यह प्रस्ताव था

नई संहिता की धारा 173 की उप-धारा (8) में स्पष्ट शब्दों में एकीकृत किया गया था। जब नए तथ्य सामने आते हैं, तो पुलिस की सामान्य रूप से न्यायालय को सूचित करने और आगे की जांच करने के लिए उसकी औपचारिक अनुमति लेने की इच्छा पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आपराधिक न्याय के प्रशासन की शुद्धता के हित और अदालत के हित को बनाए रखने पर जोर दिया गया था।

सौंपे गए विभिन्न अभिकरणों और संस्थानों की समिति

इस तरह के वितरण के विभिन्न चरण।

47. इस प्रकार, हम आगे की जांच करने और पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एन. आई. ए. में अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं पाते हैं। जवाबी हलफनामे में, भारत संघ द्वारा यह कहा गया है कि एन. आई. ए. ने जांच पूरी कर ली है और पहले से ही एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। 21.12.2018 प्रथम पूरक आरोप पत्र। इस प्रकार, हम वर्तमान मामले के तथ्यों में आगे की जांच करने के लिए एन. आई. ए. में अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं पाते हैं।

मुद्दा संख्या। 4 और 5

48. आपस में जुड़े दोनों मुद्दों को एक साथ उठाया जा रहा है।

49. हम उपरोक्त मुद्दों को तय करने के लिए आवश्यक तथ्यों को दोहरा सकते हैं। 2016 का एफ. आई. आर. सं. 2 दिनांक 11.01.2016 पर पंजीकृत किया गया था

11.01.2016 . अपीलार्थी को 11.01.2016 पर ही हिरासत में ले लिया गया था। 10.03.2016 पर, अपीलार्थी को उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा जमानत दी गई थी। सी. जे. एम., चतरा के न्यायालय के समक्ष दिनांकित आई. डी. 2 का आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सी. जे. एम. ने आई. पी. सी. की धारा 414,384,386,387,120 (बी), 25 (1 बी) (ए), 26,35 शस्त्र अधिनियम और 17 (1) (2) आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धाराओं के तहत आई. डी. 1 पर संज्ञान लिया। 09.04.2017 पर जाँच अधिकारी की धारा 16 के तहत अपराधों को जोड़ने की प्रार्थना,

17 , 20 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के 23 को अनुमति दी गई थी। केंद्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.02.2018 हस्तांतरण के बाद

एन. आई. ए. को जांच सौंपी गई, एन. आई. ए. ने जांच अपने हाथ में ली और एफ. आई. आर. No.RC-06/2018/एन. आई. एल./डी. एल. आई. फिर से दर्ज की। मामला PRADEEP RAM v की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।

झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

न्यायिक आयुक्त-सह-विशेष न्यायाधीश एन. आई. ए, रांची। अपीलार्थी के किसी अन्य मामले में हिरासत में होने के कारण एन. आई. ए. ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेशी वारंट जारी करने का अनुरोध किया। उत्पादन वारंट के बल पर 25.06.2018 पर अधीक्षक, चतरा जेल, चतरा द्वारा 25.06.2018 पर विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपीलार्थी को पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश ने अपने दिनांक 25.06.2018 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को बी. एम. सी. जेल रांची भेज दिया और 26.06.2018 पर पेश करने का निर्देश दिया। 26.06.2018 पर, अपीलार्थी को जेल हिरासत से पेश किया गया था, जिस पर 11.07.2018 लगाने का आदेश दिया गया था।

50. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत निवेदन यह है कि वर्तमान मामले में संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष न्यायाधीश द्वारा धारा 167 का सहारा नहीं ले सकते थे और प्रावधान, जो वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू था, धारा 309 थी। इस समय हम

धारा 167 (1) और उप-धारा (2) Cr.P.C के प्रावधानों को नोटिस कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैंः

" (1) जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 57 द्वारा निर्धारित चौबीस घंटे की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं की जा सकती है, और यह विश्वास करने के लिए आधार हैं कि आरोप या जानकारी ठीक है। स्थापित किए जाने पर, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि वह उप-निरीक्षक के पद से नीचे नहीं है, तो मामले से संबंधित इसके बाद निर्धारित डायरी में प्रविष्टियों की एक प्रति तुरंत निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा, और साथ ही आरोपी को अग्रेषित करेगा।

ऐसे मजिस्ट्रेट को।

(2) मजिस्ट्रेट जिसे इस धारा के तहत एक अभियुक्त व्यक्ति भेजा जाता है, चाहे उसके पास मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र हो या न हो

मामला, समय-समय पर, अभियुक्त को ऐसी अभिरक्षा में हिरासत में रखने के लिए प्राधिकृत करता है जो ऐसा मजिस्ट्रेट उचित समझता है।

ऐसी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेटः बशर्ते कि

(क) मजिस्ट्रेट [2019] एस. सी. आर. के अलावा, पुलिस की हिरासत के अलावा, अभियुक्त व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है।

पंद्रह दिनों की अवधि; यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट इस अनुच्छेद के तहत हिरासत में आरोपी व्यक्ति को कुल अवधि से अधिक के लिए हिरासत में रखने को अधिकृत नहीं करेगा,

(i) नब्बे दिन, जहां जांच मौत, आजीवन कारावास या दस साल से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है;

((ii) साठ दिन, जहां जाँच किसी अन्य अपराध से संबंधित है, और नब्बे दिन या साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर, जैसा भी मामला हो, अभियुक्त

व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाएगा यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और करता है, और इस उप-धारा के तहत जमानत पर रिहा किए गए प्रत्येक व्यक्ति को अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत इस तरह से रिहा किया गया माना जाएगा।

उस अध्याय के उद्देश्य;

(ख) कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत पुलिस की हिरासत में हिरासत को तब तक अधिकृत नहीं करेगा जब तक कि आरोपी को पहली बार और बाद में हर बार उसके सामने व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता है।

आरोपी पुलिस की हिरासत में रहे, लेकिन

मजिस्ट्रेट न्यायिक हिरासत में हिरासत को और बढ़ा सकते हैं।

अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से या उसके माध्यम से पेश करने पर

इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज का माध्यम;

(ग) द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त नहीं है, निरोध को अधिकृत नहीं करेगा।

पुलिस की हिरासत।

स्पष्टीकरण I-शंकाओं से बचने के लिए, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि पैराग्राफ (ए) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बावजूद, अभियुक्त को तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं देता है। स्पष्टीकरण 2-यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी अभियुक्त व्यक्ति को खंड के तहत आवश्यकतानुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था।

(ख) अभियुक्त व्यक्ति के पेश किए जाने को हिरासत को अधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर या प्रमाणित आदेश RADEEP RAM v द्वारा साबित किया जा सकता है।

झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

मजिस्ट्रेट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से अभियुक्त व्यक्ति को पेश करने के बारे में, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते कि अठारह वर्ष से कम आयु की महिला के मामले में

आयु के अनुसार, निरोध को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत किया जाएगा

रिमांड होम या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थान "।

51. धारा 309, जिस पर स्वयं विद्वान द्वारा अपीलार्थी के लिए निर्भरता रखी गई है, निम्नानुसार हैः

" 309. कार्यवाहियों को स्थगित या स्थगित करने की शक्ति। (1) प्रत्येक जांच या मुकदमे में, कार्यवाही दिन-प्रतिदिन तब तक जारी रखी जाएगी जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती, जब तक कि अदालत अगले दिन से आगे का स्थगन कारणों से आवश्यक न पाए। रिकॉर्ड किया गयाः

बशर्ते कि जब जांच या मुकदमा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 एबी, धारा 376 बी, धारा 376 सी, धारा 376 डी, धारा 376 डीए या धारा 376 डीबी के तहत किसी अपराध से संबंधित हो, तो जांच या मुकदमा दायर करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(2) यदि न्यायालय, किसी अपराध का संज्ञान लेने या मुकदमा शुरू करने के बाद, किसी जांच या मुकदमे के शुरू होने को स्थगित करना या स्थगित करना आवश्यक या उचित समझता है, तो वह समय-समय पर, दर्ज किए जाने के कारणों से, स्थगित या स्थगित कर सकता है। समान उन शर्तों पर जो वह उचित समझती है, ऐसे समय के लिए जो वह उचित समझती है, और वारंट द्वारा अभियुक्त को रिमांड कर सकती है यदि

अभिरक्षाः बशर्ते कि कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के तहत एक बार में पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं भेजेगाः

बशर्ते कि जब गवाह उपस्थित हों, तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों को छोड़कर, उनकी जांच किए बिना कोई स्थगन या स्थगन नहीं दिया जाएगाः

बशर्ते कि केवल अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित सजा के खिलाफ कारण दिखाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

बशर्ते कि -

(क) किसी पक्ष के अनुरोध पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, सिवाय इसके कि परिस्थितियाँ उसके नियंत्रण से बाहर हों।

उस पार्टी को;

(ख) यह तथ्य कि एक पक्ष का वकील दूसरे पक्ष में लगा हुआ है।

न्यायालय, स्थगन का आधार नहीं होगा;

((ग) जहाँ कोई गवाह न्यायालय में उपस्थित है लेकिन कोई पक्षकार या उसका वकील है।

उपस्थित नहीं है या पक्षकार या उसका वकील यद्यपि न्यायालय में उपस्थित है, गवाह की जाँच या प्रतिपरीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, न्यायालय, यदि उचित समझे, तो गवाह का बयान दर्ज कर सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

गवाह की मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा, जैसे -

मामला हो सकता है।

स्पष्टीकरण 1. - यदि यह संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त सबूत प्राप्त किए गए हैं कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया हो सकता है, और
यह संभावना प्रतीत होती है कि रिमांड द्वारा और सबूत प्राप्त किए जा सकते हैं,

यह रिमांड के लिए एक उचित कारण है।

स्पष्टीकरण 2. - वे शर्तें जिन पर स्थगन या

स्थगन की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें उचित मामलों में, अभियोजन या अभियुक्त द्वारा लागत का भुगतान शामिल है।

52. वर्तमान मामले में जिस मुद्दे का जवाब दिया जाना है, वह यह है कि क्या आरोपी (अपीलार्थी) को रिमांड पर लेने के लिए धारा 167 (2) का सहारा विशेष न्यायाधीश द्वारा लिया जा सकता था या रिमांड की जा सकती थी। केवल धारा 309 (2) Cr.P.C के तहत। इस न्यायालय को बड़ी संख्या में मामलों में धारा 167 और धारा 309 Cr.P.C के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला। पुरानी संहिता में धारा 344 नामक एक प्रावधान था जो वर्तमान संहिता की धारा 309 के समान था। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167, पुरानी संहिता की धारा 167 से मेल खाती है। इस न्यायालय को गौरी शंकर झा बनाम बिहार राज्य और अन्य, 1972 (1) एस. सी. सी. 564 में पुरानी संहिता की धारा 167

और धारा 344 पर विचार करने का अवसर मिला था। इस न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 12 में निम्नलिखित निर्धारित किया हैः -

" 12. इस प्रकार, धारा 167 एक ऐसे स्तर पर काम करती है जब कोई व्यक्ति

गिरफ्तार किया गया और या तो जांच शुरू हो गई है या अभी तक PRADEEP RAM v.

झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

शुरू करें, लेकिन ऐसा है कि इसे 24 घंटे के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, धारा 344 से पता चलता है कि जाँच शुरू हो चुकी है और पर्याप्त सबूत प्राप्त हो चुके हैं।

संदेह पैदा करना कि अभियुक्त व्यक्ति के पास हो सकता है

अपराध को अंजाम दिया और आगे के सबूत प्राप्त किए जा सकते हैं, ताकि पुलिस ऐसा करने में सक्षम हो, जेल हिरासत में रिमांड है

आवश्यक है।

53. केंद्रीय जांच ब्यूरो में यह न्यायालय, विशेष

जाँच प्रकोष्ठ-I, नई दिल्ली बनाम। अनुपम जे. कुलकर्णी, (1992) 3 एस. सी. सी. 141, के पास धारा 309 Cr.P.C पर विचार करने का अवसर था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 309 संज्ञान लेने के बाद लागू होती है न कि जांच की अवधि के दौरान। इस प्रावधान (धारा 309) के तहत रिमांड आदेश केवल न्यायिक हिरासत में हो सकता है।

54. हम सी. बी. आई. बनाम दाऊद इब्राहिम कासकर और अन्य के माध्यम से राज्य में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं।

(2000) 10 एससीसी 438। उपरोक्त मामले में, भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की सहमति से दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (सी. बी. आई.) को उपरोक्त मामलों में आगे की जांच सौंपते हुए एक अधिसूचना जारी की। सी. बी. आई. ने कई अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध करते हुए नामित अदालत के समक्ष आवेदन दायर किए और मोहम्मद में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए नामित अदालत द्वारा आवेदनों को खारिज कर दिया गया। अहमद यासीन मंसूरी बनाम। महाराष्ट्र राज्य, 1994 Crl.LJ 1854 (बम.)। फैसले के पैराग्राफ नंबर 6 में, इस न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया है। अहमद यासीन मंसूरी बनाम। महाराष्ट्र राज्य (ऊपर) और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां। बंबई उच्च न्यायालय ने उक्त मामले में कहा है कि संहिता में किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद पुलिस हिरासत के लिए कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

55. पैरा 6 में उद्धृत उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां

इस न्यायालय द्वारा निर्णय को मंजूरी नहीं दी गई थी। इस न्यायालय ने अनुच्छेद सं. 167 और 309 के प्रावधानों पर भी ध्यान दिया। 10 और 11, निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

10. धारा 173 (8) के प्रावधानों और उपरोक्त उद्धृत टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, अब यह देखा जाना चाहिए कि क्या संहिता की धारा 309 (2) अदालत के रास्ते में आती है, जिसने यह निर्णय लिया है।

किसी अपराध का संज्ञान, किसी व्यक्ति की नजरबंदी को अधिकृत करने के लिए, [2019] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसे बाद में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है

आगे की जाँच के दौरान, पुलिस हिरासत में

संहिता की धारा 167 के तहत शक्ति। धारा 309 से संबंधित है न्यायालय की प्रारंभ को स्थगित करने की शक्ति या

किसी जांच या मुकदमे और उसकी उप-धारा (2) का स्थगन

इस प्रकार पढ़ता हैः

" 309. (2) यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद,

या मुकदमा शुरू करने के लिए, यह आवश्यक या उचित लगता है

किसी भी जांच या मुकदमे के प्रारंभ को स्थगित या स्थगित करना,

यह, समय-समय पर, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, स्थगित हो सकता है या उसे ऐसी शर्तों पर ऐसे समय के लिए स्थगित कर दें जो उसे उचित लगे।

जैसा कि वह उचित समझता है, और वारंट द्वारा रिमांड कर सकता है अभियुक्त यदि अभिरक्षा में हैः

बशर्ते कि कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त व्यक्ति को रिमांड पर नहीं लेगा।

इस धारा के तहत पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में एक समयः "

11. ..... .

हालाँकि, संज्ञान के बाद भी

अपराध के लिए पुलिस के पास इसकी जांच करने की शक्ति है

इसके अलावा, जिसका प्रयोग केवल अध्याय के अनुसार किया जा सकता है बारहवीं, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि धारा के प्रावधान क्यों हैं

167 यह उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो बाद में होगा।

इस तरह की जांच के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। यदि अनुभाग 309 (2) व्याख्या की जानी है-जैसा कि द्वारा व्याख्या की गई है

मंसुरी में बंबई उच्च न्यायालय-इसका अर्थ है कि न्यायालय के बाद एक अपराध का संज्ञान लेता है जो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है

संहिता की धारा 167 के तहत पुलिस हिरासत में हिरासत,

जाँच एजेंसी को एक अवसर से वंचित किया जाएगा आगे की जाँच के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ करें, भले ही

यह पर्याप्त सामग्री के उत्पादन पर, न्यायालय को आश्वस्त कर सकता है

कि उसकी (पुलिस) हिरासत में उसकी नजरबंदी उसके लिए आवश्यक थी उद्देश्य। इसलिए, हमारी राय है कि "अभियुक्त" शब्द

यदि धारा 309 (2) में दिखाई देने वाली "अभिरक्षा में" का उल्लेख और संबंध

अभियुक्त जो न्यायालय के समक्ष था जब संज्ञान लिया गया था

या जब उसके संबंध में पूछताछ या मुकदमा चलाया जा रहा था और नहीं

एक आरोपी को जिसे बाद में आगे के क्रम में गिरफ्तार किया जाता है

जांच पड़ताल की।

99

56. इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि धारा 309 (2) का उल्लेख नहीं है -

अभियुक्त, जिसे बाद में आगे की जाँच के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है।

PRADEEP RAM v. झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

इस न्यायालय ने पैरा सं. 11 में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद भी पुलिस को यह अधिकार है कि - इसकी आगे की जाँच करें और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसकी धारा 167 के प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिसे बाद में इस तरह की जाँच के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है।

न्यायालय के समक्ष जब संज्ञान लिया गया था या जब उसके संबंध में जांच या मुकदमा चलाया जा रहा था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले के तथ्यों में, आरोपी को विशेष न्यायाधीश की अदालत में 25.06.2018 पर पेश किया गया था, उसे जेल हिरासत से उत्पादन वारंट के तहत पेश किया गया था। जिस तारीख को आरोपी को अदालत में पेश किया गया था, उस तारीख को वह बहुत अच्छी तरह से हिरासत में था। इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं था कि आरोपी को बाद में जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया और अदालत के समक्ष पेश किया गया। एफ. आई. आर. दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी को 11.01.2016 पर गिरफ्तार कर लिया गया और 10.03.2016 पर जमानत दे दी गई। इस प्रकार, राज्य में इस न्यायालय द्वारा सी. बी. आई. बनाम दाऊद इब्राहिम कासकर (सुप्रा) के माध्यम से निर्धारित कानून को देखते हुए, अपीलार्थी हिरासत में था और न्यायालय उसे धारा 309 (2) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए रिमांड पर ले सकता था और वर्तमान ऐसा मामला नहीं था जिसमें धारा 167 (2) का सहारा लिया जा सकता था। 58. दिनेश डालमिया बनाम में दो न्यायाधीशों की पीठ का फैसला। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (2007) 8 एस. सी. सी. 770, वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है जहां इस न्यायालय को धारा 167 की उप-धारा (2) बनाम धारा 309 की उप-धारा (2) की व्याख्या करने का अवसर मिला था। -

" 29. अभियुक्त के रिमांड का निर्देश देने की अदालत की शक्ति

या तो संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) या उसकी धारा 309 की उप-धारा (2) के संदर्भ में मुकदमे के चरणों पर निर्भर करेगा। जबकि संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) को ऐसे मामले में आकर्षित किया जाएगा जहां संज्ञान में [2019] 8 एस. सी. आर. है।

संहिता की धारा 309 की उप-धारा (2) को संज्ञान लेने के बाद ही लिया जाएगा।

59. अनुपन जे. कुलकर्णी (ऊपर) और दाऊद इम (ऊपर) का उल्लेख करने के बाद, इस अदालत ने पैराग्राफ संख्या 39 में निम्नलिखित निर्धारित कियाः -

" 39. सांविधिक योजना में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है

के तहत अंतिम प्रपत्र दाखिल करने के लिए एक जांच के संबंध में

धारा 173 की उप-धारा (2) और आगे की जाँच

इसकी उप-धारा (8) के तहत विचार किया गया। जबकि केवल

जब आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता है और जाँच की जाती है

लंबित, की उप-धारा (2) में संलग्न परंतुक का लाभ

लेकिन एक बार आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उक्त अधिकार समाप्त हो जाता है। इस तरह का अधिकार केवल इसलिए पुनर्जीवित नहीं होता है क्योंकि उप के अर्थ के भीतर जांच लंबित है

संहिता की धारा 173 की धारा (8)।

60. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने दो न्यायाधीशों पर भरोसा किया है

मिथाभाई पाशाभाई पटेल में इस न्यायालय का निर्णय और

आरएस बनाम गुजरात राज्य, (2009) 6 एससीसी 332। पैराग्राफ नं.

न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैंः

" 17. उपर्युक्त के संदर्भ में रिमांड की शक्ति

जब जाँच पूरी नहीं होती है तो प्रावधान का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक बार आरोप पत्र दायर होने और अपराध का संज्ञान लेने के बाद, न्यायालय संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके रिमांड की शक्ति का प्रयोग तब धारा 309 की उप-धारा (2) के संदर्भ में किया जा सकता है।

निम्नानुसारः

" 309. कार्यवाहियों को स्थगित या स्थगित करने की शक्ति। — (1)

*

62. उपरोक्त अवलोकन द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों का समर्थन करते हैं

अपीलार्थी के लिए नियुक्त वकील।

63. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित धारा 167 (2) धारा 309, Cr.P.C और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद, हम इस पर पहुँचते हैं

पक्षीय निष्कर्षः -

(i) जब तक आरोपी द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है, तब तक जाँच के दौरान आरोपी को धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत रिमांड पर लिया जा सकता है।

अदालत।

PRADEEP RAM v. झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

((ii) संज्ञान लेने के बाद भी जब कोई अभियुक्त

बाद में आगे की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया,

अभियुक्त को धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत रिमांड पर लिया जा सकता है।

((iii) जब संज्ञान लिया गया हो और अभियुक्त मामले में था।

उसके संबंध में मुकदमा चल रहा था, उसे रिमांड पर लिया जा सकता है केवल धारा 309 (2) Cr.P.C के तहत न्यायिक हिरासत में।

64. हम, इस प्रकार, विद्वान परामर्श के प्रस्तुत करने में सार पाते हैं

अपीलार्थी कि वर्तमान मामले में अभियुक्त को रिमांड पर लिया जा सकता था

केवल धारा 309 (2) Cr.P.C के तहत। हमारे सामने सीबीआई की ओर से जो निवेदन लिया गया था, वह यह था कि आरोपी को धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत रिमांड पर लिया गया था। क्योंकि उसे आगे की जांच के दौरान विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया गया था। सी. बी. आई. का रुख सही नहीं है।

65. हालाँकि, हमें इस मुद्दे पर कानून के अनुसार निर्णय लेना होगा।

सी. बी. आई. द्वारा लिया गया रुख। हम न्यायिक आयुक्त-सह-विशेष न्यायाधीश एन. आई. ए., रांची के न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.06.2018 के आदेश को नोटिस कर सकते हैं, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः -

.25.06. 2018 जारी किए गए उत्पादन वारंट के बल पर

चतरा जेल के अधीक्षक ने प्रदीप नाम के आरोपी को पेश किया

राम @प्रदीप वर्मा बेटा देवकी राम, गाँव का राजा। विंगलाट, पी. एस. तांडवा, जिला-चतरा। आरोपी प्रदीप राम को छोड़ दें।

मामले में रिमांड पर लिया गया और बी. एम. सी. जेल, रांची भेजा गया

26.06.2018 पर निर्मित। सीखा गया Spl.P.P. मौजूद है।

जारी अभिरक्षा वारंट।

निर्देश दिया।

विज्ञापन/- अमान्य

65. विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में न तो धारा 309 का उल्लेख किया है और न ही धारा 167 का जिसके तहत आरोपी को रिमांड पर लिया गया था। जब

न्यायालय के पास एक विशेष आदेश पारित करने की शक्ति है, कानून के प्रावधान का उल्लेख न करना या कानून के प्रावधान का गलत उल्लेख करना महत्वहीन है। जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, विशेष न्यायाधीश केवल धारा 309 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता था, इसलिए, दिनांकित रिमांड आदेश को धारा 309 (2) के तहत रिमांड आदेश के रूप में माना जाना चाहिए।

[2019] 8 एस. सी. आर. के तथ्यों में धारा 309 (2) के तहत अभियुक्त को रिमांड पर लेने का अधिकार।

रिपोर्टेंदिनांकित 25.06.2018 रिमांड आदेश में दया

डी न्यायिक हिरासत में।

25.06.2018 बोव दिनांकित क्रम में कोई त्रुटि। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने 25.06.2018 दिनांकित प्रत्यर्पण पी. सी. का प्रयोग कर रहा था। हालाँकि, हम मानते हैं कि रिमांड धारा 309 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

5 तदनुसार निर्णय लिया जाता है।

एन. जी. चर्चा, हम कोई योग्यता नहीं पाते हैं

फिर से बर्खास्त किया गया।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।